रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2017/अग्रहायण 13, 1939
No. 317] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 2017/AGRAHAYANA 13, 1939

## राज्य सभा सचिवालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2017

**सं.आरएस. 46/2017-टी.—**भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अधीन राज्य सभा के अन्य सदस्य श्री शरद यादव के संबंध में राज्य सभा सदस्य, श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह की याचिका के मामले में राज्य सभा के सभापति द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 को दिए गए निम्नलिखित निर्णय को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

**"आदेश**

राज्य सभा सदस्य और राज्यसभा में जनता दल (यूनाइटेड) [जेडी(यू)] दल के नेता श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (जिन्हें इसके पश्चात् यहां 'याची' कहा गया है) ने 2 सितम्बर, 2017 को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के साथ पठित अनुच्छेद 102(2) और राज्य सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 (जिन्हें इसके पश्चात् यहां 'नियमों' कहा गया है) के नियम 6 के अधीन एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि राज्य सभा सदस्य श्री शरद यादव (जिन्हें इसके पश्चात् यहां 'प्रतिवादी' कहा गया है) को संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हित किया जाए और राज्यसभा में उनकी सीट रिक्त घोषित की जाए। याची ने अपनी याचिका में दावे के साथ कहा है कि प्रतिवादी श्री शरद यादव ने, जो 8 जुलाई, 2016 को बिहार राज्य से जनता दल (यूनाइटेड) के टिकट पर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, बार-बार अपने आचरण से, जेडी(यू) दल और इसके नेतृत्व के विरुद्ध सार्वजनिक/प्रेस वक्तव्यों और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नामक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के साथ खुलेआम तालमेल कर अपनी राजनैतिक गतिविधियों से यह सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने स्वेच्छा से जेडी(यू) दल की सदस्यता छोड़ दी है और इस प्रकार वह संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं। याची का मुख्य प्रतिवाद यह था कि जेडी(यू) दल और इसके अध्यक्ष, श्री नीतीश कुमार द्वारा 26 जुलाई, 2017 को महागठबंधन और बिहार में 2015 में गठित गठबंधन सरकार से बाहर आने के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय का पालन करने के स्थान पर प्रतिवादी ने दल के निर्णय की सार्वजनिक निंदा कर दल-विरोधी गतिविधियां शुरू कर दीं। उन्होंने आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 10 और 12 अगस्त, 2017 तक बिहार के विभिन्न जिलों में प्रचार किया और 27 अगस्त, 2017 को प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल नामत: आरजेडी द्वारा आहूत सार्वजनिक रैली में भाग लिया जबकि दल के महासचिव श्री के.सी. त्यागी ने लिखित निदेश में उन्हें रैली में भाग न लेने का परामर्श दिया था और यह भी सूचित किया था कि रैली में उनके भाग

लेने को न केवल नैतिकता के उच्च मानदंडों के विपरीत माना जाएगा बल्कि यह भी समझा जाएगा कि वह स्वेच्छा से जेडी(यू) दल की सदस्यता छोड़ रहे हैं। याची ने आरोपों के सबूत के तौर पर समाचार पत्रों के अंश, मीडिया रिपोर्ट और वीडियो संलग्न किये हैं।

2. इस तथ्य से संतुष्ट होने के बाद कि याचिका नियमों के नियम 6 की अपेक्षाओं को पूरा करती है, मैंने 11 सितम्बर, 2017 को नियम 7 के उप-नियम (3) के संदर्भ में याचिका और उसके सभी संलग्नकों की एक प्रति प्रतिवादी को, जिसके संबंध में याचिका दायर की गई थी, इस अनुरोध के साथ भिजवाई कि वह उक्त की प्राप्ति के सात (7) दिन के भीतर उस पर अपनी लिखित टिप्पणी प्रस्तुत करें। इसके उत्तर में, प्रतिवादी ने दिनांक 15 और 18 सितम्बर, 2017 के पत्रों द्वारा याचिका पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए एक माह का समय बढ़ाने की मांग की। तथापि, मैंने न्याय का पक्ष लेते हुए उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए 25 सितम्बर, 2017 तक का समय दिया और उन्हें इसकी सूचना सचिवालय के 18 सितम्बर, 2017 के पत्र द्वारा दे दी गई।

3. प्रतिवादी ने 22 सितम्बर, 2017 को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं, जिनमें उन्होंने याचिका में किए गए सभी प्रकथनों, दिए गए तर्कों और उठाए गए प्रतिवादों से इंकार किया और नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन न किए जाने के आधार पर नियमों के नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन याचिका खारिज करने की मांग की। प्रतिवादी ने कहा कि जेडी(यू) का संस्थापक सदस्य होने के नाते वह इसके सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं और दल के सदस्य हैं और उन्होंने कभी भी दल को छोड़ने का इरादा नहीं किया है, स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ने या नया राजनीतिक दल बनाने का तो सवाल ही नहीं है। उन्होंने प्रतिवाद किया कि 'दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने' के प्रश्न का विनिश्चय तभी हो सकता है, जब इस प्रश्न का निर्णय हो जाए कि 'वास्तविक दल' कौन-सा है और चूंकि चुनाव चिह्न(आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 15 के अधीन जेडी(यू) में बहुमत के समर्थन के आधार पर स्वयं को वास्तविक जेडी(यू) की मान्यता देने का अनुरोध करने के संबंध में उनके गुट का आवेदन भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष लंबित है, अत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने के बाद ही उक्त याचिका पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने प्रत्यारोप लगाया कि वास्तव में श्री नीतीश कुमार और उनके गुट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली विभाजनकारी सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध साझा मोर्चे के रूप में गठित महागठबंधन को छोड़कर और भाजपा से गठबंधन कर तथा इस प्रकार, बिहार की जनता द्वारा उनमें व्यक्त किए गए विश्वास और उसके जनादेश से जबरदस्त विश्वासघात कर जेडी(यू) दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि श्री नीतीश कुमार दल के संविधान का उल्लंघन करते हुए विशुद्ध राजनीतिक और अवसरवादी कारणों से वास्तविक जेडी(यू) से अलग हो गए हैं। उनका मुख्य प्रतिवाद यह था कि, 'दल के नेताओं द्वारा दल के संविधान का उल्लंघन करते हुए लिए गए निर्णयों की आलोचना करने को स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ना नहीं माना जा सकता'। प्रतिवादी ने याची द्वारा प्रमाण के तौर पर समाचारपत्रों के लेखों/मीडिया क्लिपिंग के प्रयोग पर सवाल उठाया और कहा कि किन्हीं प्रामाणिक साक्ष्यों के अभाव में इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने जेडी(यू) दल के अध्यक्ष, श्री नीतीश कुमार के विरुद्ध अपने आरोपों के समर्थन में समाचारपत्रों के अंश और वीडियो के रूप में मीडिया रिपोर्ट भी संलग्न की है।

4. दसवीं अनुसूची के अधीन राज्य सभा में निरर्हता के पूर्व मामलों के अभिलेखों का अवलोकन करने पर मैंने पाया कि विशेषाधिकार संबंधी समिति की प्रक्रियागत अपेक्षाएं ऐसी होती हैं कि प्राथमिक जांच और अंतिम प्रतिवेदन तैयार और प्रस्तुत करने में लंबा समय लगता है जिससे अंतत: निरर्हता संबंधी कार्यवाही और अंतिम प्रश्न के निर्धारण में विलंब होता है जोकि दसवीं अनुसूची की प्रकृति और उद्देश्यों के ही विपरीत है। दल-बदल के परिणामों का सामना किए बगैर किसी सदस्य की सदस्यता बनाए रखने की अनुमति देकर ऐसा करना दल-परिवर्तन विरोधी कानून की मूल भावना अर्थात् दल-बदल की समस्या पर नियंत्रण, को ही नष्ट करने के बराबर है। उच्चतम न्यायालय ने जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [(2006) 11 एससीसी 1] के मामले में दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 के अपने आदेश में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

> "दल-परिवर्तन करने के बावजूद किसी सदस्य को सिर्फ तकनीकी आधारों के ऐसे दल-बदल के परिणामों का सामना न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

इसके अतिरिक्त नियमों के नियम 7 का उप नियम (4) इस प्रकार है:-

> "याचिका के संबंध में, अनुज्ञात अवधि के भीतर, उपनियम (3) के अधीन प्राप्त (चाहे मूलत: या उक्त उपनियम के अधीन विस्तारित) टिप्पणी पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् सभापति उस प्रश्न का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा या, यदि उसका उस मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह याचिका की प्रारंभिक जांच करने और उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यह समिति को निर्देशित करेगा।"

उपर्युक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मामले को विशेषाधिकार समिति के पास नियमित रूप से नहीं भेजा जा सकता। मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर, अध्यक्ष ने याचिका को समिति को प्राथमिक जांच के लिए भेज भी सकता है और नहीं भी। जब

मामले के तथ्य स्पष्ट हों तो सभापति अपने विवेक के अनुसार इस मामले में स्वयं आगे कार्यवाही करने का निर्णय ले सकता है। नियम-7 के उप-नियम (4) में 'प्राथमिक जांच' शब्द के उपयोग की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसका अर्थ है कि समिति द्वारा प्राथमिक जांच के बाद भी, सभापति को ही अंतिम रूप से तथ्यों का विश्लेषण करके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर मैंने प्रतिवादी की निरर्हता संबंधी प्रश्न के अवधारण के लिए स्वयं आगे कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इसलिए, न्याय के पक्ष में मैंने 7 अक्तूबर, 2017 को निर्देश दिया कि प्रतिवादी की टिप्पणियां याची को उनकी प्राप्ति के सात (7) दिनों के भीतर उन पर अपनी टिप्पणियां करने के लिए भेज दी जाएं।

5. याची ने 13 अक्तूबर, 2017 को अपनी टिप्पणियों में याचिका में पहले से उल्लिखित तथ्यों को फिर से दोहराया और निवेदन किया कि प्रतिवादी की टिप्पणियों का स्वरूप सैद्धान्तिक भाषण की तरह है और वे याचिका में किए गए विशिष्ट प्रकथनों का उत्तर देने और याचिका में लगाए गए आरोपों का सारवान रीति से खंडन करने में विफल हैं। उन्होंने प्रतिवादी के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि दल के आंतरिक कामकाज के संबंध में कोई विवाद भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के समक्ष लंबित है, उन्होंने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया और कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने उनकी याचिका का संज्ञान लेने से मना कर दिया है। याची ने कहा कि दल के भीतर किसी विवाद की मौजूदगी, किसी निरर्हता याचिका के निर्धारण हेतु न तो सुसंगत है और न इससे संबंधित है, बल्कि, इसके लिए व्यक्ति के आचरण की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने प्रतिवाद किया कि समाचार पत्रों के लेख/मीडिया क्लिपिंग की विषय-सामग्री की सत्यता को असत्य साबित करने का उत्तरदायित्व प्रतिवादी पर है और प्रत्याख्यान या खंडन करने में विफल रहने का अर्थ स्वीकृति है। जहां तक महागठबंधन छोड़कर बिहार की जनता के विश्वास और जनादेश से विश्वासघात का प्रतिवादी का आरोप है, याची ने प्रतिवाद किया है कि श्री नीतीश कुमार को जेडी(यू), बिहार की विस्तृत राज्य कार्यकारी समिति की 11 जुलाई, 2017 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में 26 जुलाई, 2017 को महागठबंधन की सरकार को छोड़ना पड़ा और बिहार के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उक्त बैठक में विधायकों, संसद सदस्यों (राज्य सभा और लोक सभा), सभी जिलाध्यक्षों और दल की विभिन्न इकाइयों/विंग/प्रकोष्ठों के सभी अध्यक्षों ने उनसे गठबंधन दल नामत: आरजेडी के कुछ नेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार, धन शोधन और बेनामी संपत्तियों के गंभीर मामले प्रकाश में आने और अन्वेषण एजेंसियों द्वारा उनके विरुद्ध छापा मारने जैसे गंभीर मुद्दों से समझौता न करने का आग्रह किया था और उनसे यथोचित आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। श्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन छोड़ने/बिहार के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देने के निर्णय को विधायक दल ने 26 जुलाई, 2017 की अपनी बैठक में और जेडी(यू) दल की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति व राष्ट्रीय परिषद ने 19 अगस्त, 2017 को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया था। श्री नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सिद्धांतवादी रवैये की सराहना करते हुए भाजपा ने बिना शर्त समर्थन का प्रस्ताव दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया और सरकार बनाई तथा 27 जुलाई, 2017 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 28 जुलाई, 2017 को बिहार की विधान सभा में अपना बहुमत भी सिद्ध कर दिया। याची ने आरोप लगाया है कि प्रतिवादी 19 अगस्त, 2017 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जबकि उन्हें इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था और वह उस बैठक में अपनी चिंताएं व्यक्त कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक समानांतर बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें मुख्यत: आरजेडी दल के कार्यकर्ता ही उपस्थित थे। याची ने तर्क दिया है कि महागठबंधन, बिहार विधान सभा हेतु चुनाव लड़ने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर तैयार महज एक राजनैतिक गठबंधन था और ऐसी कोई बाध्यता नहीं हो सकती थी कि गठबंधन के सहयोगी मूलभूत मतभेदों के बावजूद एक साथ रहें। उन्होंने प्रतिवादी के संस्थापक सदस्य होने के दावे को भी खारिज किया और समुक्ति की कि यदि तर्क के लिए उनका दावा स्वीकार भी कर लिया जाए तब भी इससे उन्हें अपने आप ऐसे निर्णय लेने का विशेष अधिकार नहीं मिल जाता, जो दल के सर्वसम्मत विचारों और निर्णयों के विपरीत हों। कोई भी राजनीतिक दल और विशेषकर सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध मजबूत और गहरी प्रतिबद्धता वाला जेडी (यू) दल अपने किसी भी सदस्य को एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ मेल-मिलाप करने की अनुमति नहीं दे सकता, जिसके नेता बेनामी संपत्ति के लेनदेन और धनशोधन के गंभीर आरोपों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

6. प्रतिवादी ने 11 अक्तूबर, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई और जेडी (यू) दल की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 8 अक्तूबर, 2017 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत संकल्प को दर्ज करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दिया जिसमें राष्ट्रीय परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ श्री नीतीश कुमार पर अप्रैल, 2016 से जेडी (यू) के भीतर संगठन के चुनाव न कराकर अपने विरोध के सभी विकल्प बंद करने की षड्यंत्रकारी कार्रवाई करने का आरोप लगाया था और उनके द्वारा 10 अप्रैल, 2016 के बाद से लिए गए निर्णयों को अवैध और आरंभ से ही शून्य घोषित किया था।

7. नियम 7 के उप-नियम (7) के अनुसार, प्रतिवादी को अपना मामला प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत सुनवाई का समुचित अवसर देने के मद्देनजर मैंने निदेश दिया कि याचिका के संबंध में प्रतिवादी के दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के उत्तरों पर याची की 13 अक्तूबर, 2017 की टिप्पणियों की प्रति के साथ प्रतिवादी को एक नोटिस भेजकर सूचना दी जाए कि उन्हें 30 अक्तूबर, 2017 को प्रात: 9.30 बजे मेरे कक्ष

अर्थात् कक्ष सं. 216, द्वितीय तल, ब्लॉक ए, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में मेरे समक्ष मौखिक सुनवाई का एक अवसर दिया गया है। उन्हें राज्य सभा सचिवालय के दिनांक 18 अक्तूबर, 2017 के पत्र द्वारा यह सूचना दी गई।

8. इस बीच, प्रतिवादी ने 18 अक्तूबर, 2017 को एक और आवेदन किया और इसे 20 अक्तूबर, 2017 के पत्र द्वारा अग्रेषित किया, जिसमें उन्होंने चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 15 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क और चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13 और 13क के संबंध में श्री छोटूभाई अमरसंग वसावा, कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व वाले जेडी (यू) दल को मान्यता देने और उसे दल का चुनाव चिह्न अर्थात् तीर, आवंटित करने के लिए दायर दिनांक 17 अक्तूबर, 2017 के आवेदन की ओर ध्यान आकर्षित किया। यह नया आवेदन इस संबंध में उनके द्वारा दायर पूर्व आवेदनों को दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज किए जाने के बाद और भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 27 सितम्बर, 2017 के पत्र, जिसमें कहा गया था कि वे अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य सहित नया आवेदन दायर कर सकते हैं, के उत्तर में दायर किया गया। प्रतिवादी ने आवेदन के साथ दायर किए गए तथ्यों और दस्तावेजों को अभिलिखित किए जाने का अनुरोध किया था किंतु उसके साथ संलग्नक - 4 अर्थात् भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष दायर किए गए दिनांक 17 अक्तूबर, 2017 के आवेदन को यह कहते हुए संलग्न नहीं किया था कि यह जनता दल (यूनाइटेड) की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा दायर 429 शपथ पत्रों सहित 3000 पृष्ठों वाला भारी-भरकम दस्तावेज है और आवश्यकता पड़ने पर इसे राज्य सभा सचिवालय को उपलब्ध कराया जा सकता है।

9. प्रतिवादी ने दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 के पत्र द्वारा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के राज्यों की विधान सभाओं के आगामी चुनावों से संबंधित बैठकों/व्यस्तताओं का कारण बताते हुए मौखिक साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के लिए आठ सप्ताह का समय बढ़ाये जाने का अनुरोध किया था। तथापि, उनके अनुरोध पर विचार करने के पश्चात्, मैंने उनके लिए एक सप्ताह का समय बढ़ा दिया और उन्हें अपने कक्ष अर्थात, कक्ष सं. 216, द्वितीय तल, ब्लॉक ए, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में 8 नवम्बर, 2017 को म.पू. 10.00 बजे अपना मामला प्रस्तुत करने हेतु मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निदेश दिया। साथ ही उन्हें यह भी सूचित किया कि इस मामले में उन्हें और अधिक समय विस्तार प्रदान नहीं किया जायेगा। उन्हें यह सूचना राज्य सभा सचिवालय के दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 के पत्र द्वारा प्रेषित की गई।

10. प्रतिवादी ने दिनांक 4 नवम्बर, 2017 के पत्र के द्वारा उन्हें दो अधिवक्ताओं, नामत: श्री कपिल सिब्बल और श्री देवदत्त कामत के साथ मौखिक साक्ष्य के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। बाद में उनसे दिनांक 7 नवम्बर, 2017 का एक और पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने चार और अधिवक्ताओं नामत: श्री मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा, श्री जावेदुर रहमान, श्री राजेश इनामदार और श्री आदित्य भट्ट के साथ उपस्थित होने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। मैंने उनके अनुरोधों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया क्योंकि इस प्रयोजन हेतु न तो नियमों में कोई प्रावधान है और न ही राज्य सभा में ऐसा कोई पूर्व उदाहरण रहा है और इसकी सूचना उन्हें राज्य सभा सचिवालय के दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के पत्र द्वारा दे दी गई।

11. इस बीच, प्रतिवादी ने दिनांक 7 नवम्बर, 2017 को तीसरा आवेदन दायर किया जिसमें उन्होंने याचिका के संबंध में अपनी टिप्पणियों और अपने दोनों आवेदनों में उनके द्वारा पहले से प्रस्तुत किए गए बिन्दुओं को दोहराया था। आवेदनों में उठाए गए सभी मुद्दे दल के आंतरिक मामले हैं जोकि दसवीं अनुसूची की विषय-वस्तु नहीं है और इसलिए ये मेरे अधिकार-क्षेत्र में नहीं आते हैं।

12. प्रतिवादी 8 नवम्बर, 2017 को म.पू. 10.10 बजे मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और प्रारम्भ में ही उन्होंने मुझे दिनांक 7 नवम्बर, 2017 का एक पत्र सौंप दिया जिसमें उन्होंने पुन: अनुरोध किया था कि उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओं को मेरे समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने तथा तर्क करने की अनुमति दी जाए और यह आरोप लगाया कि उनके आग्रहों को स्वीकार न करके, मैंने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य किया है। प्रतिवादी ने दोहराया कि उन्होंने नहीं बल्कि श्री नीतीश कुमार और उनके समर्थकों ने दल के संविधान और नियमों का उल्लंघन कर दल छोड़ा है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि दल का कौन सा गुट वास्तविक जनता दल है इसका विवाद भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष लंबित है और उनके द्वारा इसका निर्णय 13 नवम्बर, 2017 को निर्धारित सुनवाई में दिया जाएगा। प्रतिवादी द्वारा मुझे सौंपे गए अपने पत्र में, जिसे अभिलिखित किया गया, उन्होंने कहा था कि चूंकि दसवीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भी मामले में सुनवाई अर्द्धन्यायिक कार्यवाही के स्वरूप की होती है, इस प्रयोजनार्थ अध्यक्ष/सभापति को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में अधिकरण माना गया है और कि सभापति का आदेश देश के संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अध्यधीन है, जैसा कि किसी अन्य अधिकरण के मामले में होता है। इसके अतिरिक्त, इस अधिकरण के समक्ष चलने वाली कार्यवाही में किसी न्यायालय के सभी साजो-सामान अंतर्ग्रस्त होते हैं, चूंकि यह मुद्दा तभी उठाया जाता है जब सभापति को शिकायत की गई हो और इसमें अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की आवश्यकता पड़ती हो क्योंकि इस मामले में संवैधानिक विधि के जटिल मुद्दे शामिल होते हैं जिनके लिए दसवीं अनुसूची के उपबंधों की व्याख्या की आवश्यकता होती है। उन्होंने दावा किया कि किसी सदस्य पर माननीय सभापति के समक्ष

अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के विरुद्ध नियमों के नियम 7 (7) में कोई रोक नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु उपबंध विधिक प्रतिनिधित्व की अनुमति दिए जाने के अतिरिक्त है। संसद तथा राज्य विधान सभाओं में दसवीं अनुसूची के तहत चली कार्यवाहियों के उदाहरणों की संख्या को देखते हुए जहां अधिवक्ताओं द्वारा तर्कों का जवाब दिया गया है और पूर्ण मुकदमे चलाए गए हैं, उन्होंने मेरी सुविधा के अनुसार किसी भी तारीख को मेरे समक्ष उपस्थित होने तथा व्यक्तिगत रूप से व अधिवक्ताओं के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं उनकी अनुपस्थिति में उनके विरोध के बावजूद सुनवाई जारी रख सकता हूं।

13. मैंने प्रतिवादी को सूचित किया कि मौखिक सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं को साथ लेने के उनके लिखित अनुरोधों को मामले, नियम सुस्थापित परंपरा और श्री ईसम सिंह के निरर्हता मामले (2008) में अपने पूर्ववर्ती के निर्णय, जहां उन्होंने मौखिक सुनवाइयों में अपने अधिवक्ता को साथ लाने हेतु उनके द्वारा किए गए बार-बार अनुरोधों को सुस्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था, सहित पूर्व प्रथा और उदाहरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात उनके अनुरोधों को अस्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त, उनके निवेदन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, मेरे पास मौखिक सुनवाई के लिए अपने अधिवक्ता को साथ लाने की अनुमति न देने के संबंध में अपने दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के पूर्व निर्णय को बदलने का कोई कारण नहीं है। साथ ही, परंपरागत रूप से ऐसी सुनवाईयों के दौरान किसी भी पक्ष को अधिवक्ता के माध्यम से अपना बचाव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है, और इस प्रकार यह एक संतुलित निर्णय है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि उनके विस्तृत उत्तरों से यह स्पष्ट है कि इन्हें अधिवक्ताओं द्वारा अथवा उनके साथ परामर्श करने के पश्चात तैयार किया गया था और कि उन्हें उनसे परामर्श करने के बाद ही मौखिक सुनवाई हेतु तैयारी के साथ आना चाहिए था। जब यह पूछा गया कि क्या उनके पास लिखित में पहले से प्रस्तुत तथ्यों के अतिरिक्त कुछ और सामने रखने के लिए है तो प्रतिवादी ने कहा कि उसके पास कुछ और कहने के लिए नहीं है, लेकिन उन्होंने अधिवक्ताओं के माध्यम से अपना मामला रखने का अनुरोध पुन: दोहराया।

14. जहां तक प्रतिवादी के इस प्रतिवाद का संबंध है कि सभापति दसवीं अनुसूची के अधीन मामलों में अधिकरण के रूप में कार्य करता है और इसलिए इस अधिकरण में न्यायालय के सभी साजो-सामान अंतर्ग्रस्त होते हैं, दसवीं अनुसूची के अधीन अधिकरण के रूप में अध्यक्ष अथवा सभापति की भूमिका को स्पष्ट करते हुए किहोटो होलोहान बनाम जाचिल्हू और अन्य [1992 एससीआर (1) 686, 1992 एससीसी अनुपूरक (2) 651, जेटी 1992 (1) 600, 1992 एससीएएलई (1) 338] के मामले में दिनांक 18 फरवरी, 1992 के अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियां उपयुक्त हैं:-

> "सभी अधिकरण न्यायालय नहीं हैं, हालांकि सभी न्यायालय अधिकरण हैं। 'न्यायालयों' से तात्पर्य सिविल न्यायाधिकरण के न्यायालय हैं और 'अधिकरणों' से तात्पर्य उन व्यक्तियों के निकायों से हैं जिनसे कतिपय विशिष्ट कानूनों के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने की अपेक्षा की जाती है। जहां 'वाद' है - एक पक्ष द्वारा अभिपुष्टि करना और दूसरे के द्वारा खण्डन करना - और विवाद के समाधान के लिए इसके पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में निर्णय लिया जाना आवश्यक हो तथा प्राधिकरण को इसका निर्णय करने के लिए कहा जाए, तो यह न्यायिक शक्ति का उपयोग है। इस प्राधिकरण को अधिकरण कहते हैं, यदि इसके पास न्यायालय को उपलब्ध साजो-सामान नहीं हैं। अत:, दसवीं अनुसूची के पैरा 6(1) के तहत कार्य करते हुए अध्यक्ष अथवा सभापति एक अधिकरण है"।

जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य [(2006) 11 एससीसी 1] के मामले में दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में की गई निम्नलिखित टिप्पणियां भी इस संदर्भ में प्रासंगिक हैं:-

> "यह प्रश्न कि क्या समुचित अवसर प्रदान किया गया है अथवा नहीं, का कोई सीमित दायरा निर्धारित नहीं किया जा सकता है और यह मामले की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करेगा। प्रारम्भ में, हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की दलील पर विचार करते समय, यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि दसवीं अनुसूची के तहत की जा रही कार्यवाही की न तो न्यायालय में विचारण से और न ही किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु विभागीय कार्यवाही से तुलना की जा सकती है। ऐसे अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। हम यहां यह बात भी कहना चाहेंगे कि न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र कितना भी सीमित क्यों न हो, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा और ऐसा न किए जाने पर आदेश निरस्त हो जाएंगे। तथापि, इस शिकायत का फैसला करने के लिए मानक कि यथोचित अवसर प्रदान नही किया गया है, भिन्न होगा। इसके अतिरिक्त, यदि अधिकरण द्वारा लिया गया विचार तर्कसंगत है तो न्यायालय इस आधार पर आदेश को विखंडित करने से इंकार कर देगा कि दूसरा विचार अधिक तर्कसंगत है। अधिकरण सदस्य के आचरण से किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है जोकि नि:संदेह मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों की संपूर्णता पर निर्भर करेगा।

नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को लागू करते समय, यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि 'वे अपरिवर्तनीय नहीं अपितु लचीले हैं' और उन्हें एक निश्चित सांचे में नहीं ढाला गया है और इसलिए इन्हें एक विधिक सीमित दायरे में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या नैसर्गिक न्याय की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है अथवा नहीं, इस पर किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के सन्दर्भ में विचार करना होगा"।

वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की उपर्युक्त टिप्पणियों के मद्देनजर मेरा यह सुविचारित मत है कि प्रतिवादी को उनकी ओर से उनका मामला प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ताओं के साथ मौखिक साक्ष्य हेतु उपस्थित होने की अनुमति न देकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं हुआ है। वास्तविकता यह है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप और नियमों के नियम 7(7) की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रतिवादी को व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा मौका दिया गया।

15. संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) के अनुसार, कोई सदस्य निम्नलिखित परिस्थितियो में निरर्हित किया जा सकता है:-

(क) यदि वह जिस राजनीतिक दल का सदस्य है, उसकी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है/छोड़ देती है; या

(ख) जब वह ऐसे राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य है, द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विरुद्ध पूर्व अनुज्ञा के बिना सदन में मतदान करता है/करती है या मतदान करने से विरत रहता है/रहती है और ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है।

स्पष्ट है कि वर्तमान मामला दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के अधीन आता है। अब मैं इस उपबंध के अधीन मामले के गुण-दोषों की परीक्षा करूंगा।

16. अभिलेखों, याचिका, याचिका के संबंध में प्रतिवादी के उत्तरों, प्रतिवादी के उक्त उत्तरों पर इस संबंध में सभी संलग्नकों सहित याची की टिप्पणियों, प्रतिवादी द्वारा अपने अतिरिक्त आवेदनों के जरिए प्रस्तुत किए गए तथ्यों तथा मौखिक सुनवाई के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का अवलोकन करने पर, मैंने पाया कि प्रतिवादी याची द्वारा उन पर दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों को सुस्पष्ट रूप से मना अथवा खण्डन करने के स्थान पर यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि श्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ मिलने के निर्णय के कारण जनता दल (यूनाइटेड) दल का दो गुटों में विभाजन हुआ-एक श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाला गुट और दूसरा उनका और उनके समर्थकों का गुट और इस दूसरे गुट को भी जनता दल (यूनाइटेड) के भीतर बहुमत प्राप्त था और इस संबंध में एक विवाद भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष लम्बित था। उनके द्वारा दिया गया मुख्य तर्क यह था कि उन्होंने नहीं अपितु श्री नीतीश कुमार और उनके गुट ने जे.डी.(यू) दल के संविधान में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लंघन करके और जिन सिद्धान्तों पर दल की नींव रखी गई थी, उनके विरुद्ध कार्य करते हुए स्वेच्छा से जनता दल (यूनाइटेड) की सदस्यता छोड़ दी थी और इस तरह से दसवी अनुसूची के तहत निरर्हता के अध्यधीन हो गए थे। तथापि, वह इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त संविधान की दसवीं अनुसूची का पैरा 1 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम 'विधान दल' और 'मूल राजनीतिक दल' को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं:-

"व्याख्या 1. xxxx

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जो, पैरा 2 या [xxx] पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, "विधान-दल" से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं;

(ग) सदन के किसी सदस्य के संबंध में, "मूल राजनीतिक दल" से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है।"

यह राजनीतिक दलों द्वारा किए गए किसी राजनीतिक गठबंधन का संज्ञान नहीं लेता है। महागठबंधन बिहार में विधान सभा चुनाव लड़ने के प्रयोजनार्थ कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया राजनीतिक गठबंधन है और जनता दल (यूनाइटेड) इसका एक घटक था। इस प्रकार, राजनीतिक दलों द्वारा किसी राजनीतिक गठबंधन को छोड़ देना या उसमें शामिल होना दल परिवर्तन-रोधी कानून के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

17. प्रतिवादी का बार-बार यह दोहराना, कि जेडी(यू) से संबंधित विवाद का मामला भारत निर्वाचन आयोग में लंबित है, निरर्हता संबंधी याचिका पर निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि यह पूर्णत: दल का आंतरिक मामला है और दसवीं अनुसूची के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है, और इसलिए, मेरे अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। वैसे भी, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी द्वारा स्वयं मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग ने प्रतिवादी द्वारा समर्थित गुट के दावे को यह कहकर दो बार खारिज कर दिया है कि उनके दावे के

समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण नहीं हैं। प्रतिवादी ने राज्य सभा में जेडी(यू) संसदीय दल के नेता के पद से उन्हें हटाने से संबंधित निर्णय की वैधता और जेडी(यू) के महासचिव, श्री के.सी. त्यागी द्वारा उन्हें आरजेडी द्वारा आयोजित रैली में भाग न लेने के संबंध में उन्हें निदेश जारी करने के कानूनी और नैतिक प्राधिकार पर प्रश्न उठाया है। इस संदर्भ में, मुझे उस सूक्ति का अनुसरण करना पड़ेगा कि किसी भी लोकतंत्र में बहुमत के निर्णय और बहुमत की आवाज को ही स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए, यदि किसी संसदीय दल/गुट के नेतृत्व के संबंध में कोई विवाद खड़ा होता है, तो मुझे प्रत्येक पक्ष द्वारा अपने-अपने दावे के संबंध में मेरे समक्ष प्रस्तुत तथ्य और साक्ष्य के आधार पर जांच और निर्णय करना होगा। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य के साथ यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उनके गुट को राज्य सभा में जेडी(यू) संसदीय दल में बहुमत का समर्थन हासिल है। इसके विपरीत, श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह को 11 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में हुई जेडी(यू) संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य सभा में जेडी(यू) संसदीय दल के नेता के पद पर चुन लिया गया था, और लोक सभा सदस्य व संसद में जेडी(यू) के नेता श्री कौशलेन्द्र कुमार ने राज्य सभा सचिवालय को इसकी सूचना दी थी। राज्य सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया और राज्य सभा के अभिलेखों को तदनुसार अद्यतन किया गया। इसके अतिरिक्त, 2016 में संगठनात्मक चुनावों के पश्चात जेडी(यू) द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार श्री के. सी. त्यागी वर्तमान में जेडी(यू) के महासचिव हैं। प्रतिवादी का यह दावा भी तर्कसंगत नहीं है कि याचिकाकर्ता याचिका दायर करने की अधिस्थिति में नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह राज्य सभा के एक सदस्य हैं और नियमों के अनुसार, राज्य सभा का कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य की निरर्हता की मांग करने वाली याचिका दायर कर सकता है।

18. मात्र यही तथ्य, कि प्रतिवादी ने जेडी(यू) के महासचिव श्री के.सी. त्यागी द्वारा उन्हें आरजेडी द्वारा आयोजित रैली में भाग न लेने के संबंध में लिखित निदेश जारी करने और यह चेतावनी देने कि उसमें भाग लेने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उन्होंने स्वेच्छा से जेडी(यू) की सदस्यता छोड़ दी है, के बावजूद 27 अगस्त, 2017 को पटना में विरोधी दल, अर्थात राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक रैली में भाग लिया और उसे संबोधित किया, स्पष्ट रूप से यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि उन्हें दल के निदेश से कोई सरोकार नहीं है और उन्होंने खुले-आम उसका उल्लंघन किया है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य, कि उन्होंने जेडी(यू) के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार के विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग में दर्ज की गई शिकायत का समर्थन किया है और जेडी(यू) के कुछ सदस्यों के समर्थन से श्री नीतीश कुमार के निर्णयों को गैर-कानूनी, अवैध और अमान्य घोषित करने का संकल्प प्रस्तुत और पारित किया है, जिसके संबंध में उन्होंने स्वयं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है, भी स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि उन्होंने दल-विरोधी गतिविधियों में भाग लिया है। उनके द्वारा श्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन छोड़ने के निर्णय और भाजपा के साथ मिलने की सार्वजनिक रूप से निन्दा करना और जेडी(यू) के विरोधी दल, अर्थात राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों और नीतियों के समर्थन करने, उनके साथ मंच साझा करने और उनकी बैठकों/रैली को संबोधित करने के द्वारा आरजेडी के साथ सार्वजनिक रूप से जुड़ना, जिनको न तो उन्होंने अस्वीकार किया है और न ही उसका खंडन किया है, भी इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि वह अब उस दल की नीतियों और निर्णयों का समर्थन नहीं करते हैं, जिस दल के टिकट पर वह चुने गए थे। मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों से भी ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी आपत्तियों को अपने दल के मंच पर उठाने, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त अवसर मौजूद थे, अर्थात, 11 जुलाई, 2017 को जेडी(यू) की विस्तारित राज्य कार्यकारिणी की बैठक, और 19 अगस्त, 2017 को जेडी(यू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, के बजाय वह मीडिया में और विरोधी राजनीतिक दल की बैठकों/रैली सहित सार्वजनिक मंचों पर अपने दल की नीतियों और दल के अध्यक्ष के निर्णयों की आलोचना करते रहे। यद्यपि प्रतिवादी ने याचिका के संबंध में अपनी टिप्पणियों में उल्लेख किया है कि उन्होंने महागठबंधन से अलग होने के निर्णय के संबंध में 12 अगस्त, 2017 को श्री नीतीश कुमार के समक्ष अपनी असम्मति व्यक्त की थी, तथापि, उन्होंने इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण या अन्य तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। उन्होंने इस पर श्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया पर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। प्रतिवादी का दावा था कि दल के संविधान का उल्लंघन करते हुए दल के नेताओं के निर्णय की आलोचना करने का अर्थ स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ना नहीं है। यहां, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि एक राजनीतिक दल, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है, सामूहिक फैसले के माध्यम से काम करता है। हालांकि किसी व्यक्ति का दल के फैसले से कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन अंततः उसे दल के सामूहिक निर्णय का पालन करना होता है। उसे कोई निर्णय लिए जाने से पहले दल की बैठकों और मंचों में और उसके बाद भी अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। लेकिन निर्णय लेने के बाद अगर किसी भी राजनीतिक दल का कोई सदस्य सार्वजनिक रूप से अपने दल के निर्णयों की आलोचना शुरू कर देता है, और यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों की रैलियों में भाग लेना और उन्हें संबोधित करने लगता है, तो यह दल-विरोधी गतिविधि के तहत आ जाएगा और यदि संबंधित व्यक्ति राज्य विधानसभा या संसद का सदस्य है, तो इसे स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ना माना जाएगा, और इस प्रकार यह दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्हता माना जाएगा। मेरे विचार से, कोई सदस्य दल की नीतियों और घोषणापत्रों के कारण किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में चुना जाता है और यदि वह सदस्य अपने दल की सार्वजनिक रूप से आलोचना करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता को छोड़ दिया है।

19. दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) में उल्लेख किया गया है कि 'सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है।' उच्चतम न्यायालय ने रवि नाइक बनाम भारत संघ [1994 एआईआर 1558, 1994 एससीआर (1) 754, 1994 एससीसी अनु. (2) 641, जेटी 1994 (1) 551, 1994 स्केल (1) 487] मामले में 9 फरवरी, 1994 के अपने निर्णय में 'सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है' को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया है, जिसमें न्यायालय ने अन्य के साथ-साथ यह समुक्ति की है:-

> " 'सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है' शब्द 'त्यागपत्र' का पर्याय नहीं हैं और इसके व्यापक अर्थ हैं। एक व्यक्ति स्वेच्छा से एक राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता को छोड़ सकता है, हालांकि उसने उस पार्टी की सदस्यता से अपना त्यागपत्र नहीं दिया है। यहां तक कि सदस्यता से औपचारिक त्यागपत्र की अनुपस्थिति में किसी सदस्य के आचरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि उन्होंने स्वयं उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है, जिससे वह संबंधित हैं।"

उसी मामले में, उच्चतम न्यायालय ने गोवा विधान सभा अध्यक्ष के दो विधायकों को, जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, उनके केवल इस आचरण पर कि वे गोवा में कांग्रेस (आई) संसदीय दल के नेता द्वारा राज्यपाल से मिलकर यह दर्शाने के लिए कि उनके पास बीस विधायकों का समर्थन है, उनके साथ गए थे, निरर्ह करने के निर्णय को बरकरार रखा था।

20. उच्चतम न्यायालय ने जी. विश्वनाथन बनाम माननीय अध्यक्ष, तमिलनाडु विधानसभा, मद्रास एवं अन्य [1996 एआईआर 1060, 1996 एससीसी (2) 353, जेटी 1996 (1) 607, 1996 स्केल (1) 531] मामले में 24 जनवरी, 1996 के अपने आदेश में अन्य के साथ-साथ यह समुक्ति की है:-

> " राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोडने का कृत्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है।"

21. रवि नाइक मामले में उच्चतम न्यायालय की उक्त समुक्तियों से पूर्व विशेषाधिकार समिति (आठवीं लोक सभा) ने भी 'सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है' के अर्थ पर विचार किया था और निम्नलिखित समुक्ति की थी:-

> "समिति ने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी सदस्य द्वारा किसी राजनैतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ देना किस कृत्य को माना जाएगा। समिति ने नोट किया है कि दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 (1) (क) में उपयोग किए गए शब्द 'यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है' हैं न कि 'यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है'। समिति का मानना है कि 'स्वेच्छा से छोड़ दी है' शब्दों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है ...... इस बात पर बल देना कि स्वेच्छा से सक्षम प्राधिकारी को त्यागपत्र सौंपने को ही निरर्हता माना जाएगा वास्तव में संवैधानिक उपबंध की एक संकीर्ण व्याख्या होगी और इससे वस्तुत: वह उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा जिस पर संसद ने संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम लागू करते समय विचार किया था और ऐसी व्याख्या दसवीं अनुसूची के उपबंधों को निरर्थक बना देगी।
>
> समिति का विश्वास है कि ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही 'स्वेच्छा से छोड़ दी है' शब्द पैरा 2 (1) (क) में उपयोग किए गए थे। चूंकि कानून सटीक तरीके से यह परिभाषित नहीं करता है जिसमें सदस्यता को छोड़ दिया जाना है, शब्दों की उस भावना के अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए, जिस भावना से वे अधिनियम में उपयोग किए गए हैं। कानून बनाने वालों का इरादा काफी स्पष्ट है: केवल अपने त्यागपत्र के द्वारा ही नहीं बल्कि अपने आचरण से भी कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ सकता है। समिति का मानना है कि यदि कोई सदस्य अपने आचरण से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि वह दल के अनुशासन से बंधा नहीं है और यहां तक कि अपने आचरण से इसे समाप्त करने के लिए तैयार है, तो उसे अपनी सीट खोने की कीमत चुकाने और पुन: चुने जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।"

22. डा. महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद एवं अन्य [(2004) 8 एससीसी 747] मामले में 27 अक्तूबर, 2004 के अपने एक अन्य निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने समुक्ति की :-

> "इसलिए, सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार सदन के सभापति या अध्यक्ष में निहित है। इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि दसवीं अनुसूची सदन के सभापति या अध्यक्ष को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती है। उनकी भूमिका केवल संबंधित तथ्यों की जांच करने तक सीमित है। एक बार एकत्रित या प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाए कि सदन के किसी सदस्य ने ऐसा कोई कार्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 उप-पैरा (1), (2) या (3) के अधिकारक्षेत्र में आता है, तो ऐसी स्थिति में निरर्हता लागू होगी और सदन के सभापति या अध्यक्ष को उस पर निर्णय लेना होगा।"

23. दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) के उल्लंघन के आरोप से संबंधित याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस तरह की आधिकारिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, पदनामित प्राधिकारी के रूप में सभापति की भूमिका केवल तथ्यों की जांच करने और एक बार तथ्यों के एकत्रित होने या प्रस्तुत होने पर दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) के अर्थ के भीतर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कृत्य दिखाई देने की स्थिति में उस मामले में निर्णय लेने तक सीमित है। दसवीं अनुसूची के ऊपर उद्धृत पैरा के अधीन पीठासीन अधिकारी को जितनी सीमित भूमिका अदा करनी होती है, वह डा. महाचंद्र प्रसाद सिंह बनाम अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद और अन्य [(2004) 8 एससीसी 747], में उच्चतम न्यायालय ने पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया था, उन्होंने निम्नानुसार समुक्ति की थी:-

> "इस तथ्य पर ध्यान दिया जाए कि दसवीं अनुसूची के पैरा 2 में सुविचारित विभिन्न आकस्मिकताओं के लिए की जाने वाली जांच के स्वरूप और दर्जे में अंतर हो सकता है। जहाँ तक पैरा 2(1) के खंड (क) का संबंध है, जाँच सीमित रहेगी अर्थात्, क्या किसी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले सभा के किसी सदस्य ने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है।"

इस प्रकार, अब यह मुझे तय करना है कि क्या प्रतिवादी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल अर्थात्, जेडी (यू) की सदस्यता त्याग दी है। मेरे समक्ष प्रस्तुत तथ्यों/साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी के कृत्यों और बयानों से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी जेडी(यू) की सदस्यता त्याग दी है, जिसके टिकट पर वह राज्यसभा के लिए चुने गए थे।

24. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा दल-विरोधी गतिविधियों और स्वेच्छा से जेडी (यू) की सदस्यता के परित्याग के साक्ष्य के रूप में मुख्य रूप से अख़बारों की कतरनों और विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित वीडियो रिकॉर्डिंग को आधार बनाया है। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा अख़बार की कतरनों और वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में उपयोग करने का यह कह कर विरोध किया है कि किसी भी स्पष्ट प्रमाण के अभाव में साक्ष्य के रूप में अखबारों के लेखों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह विडंबना है कि प्रतिवादी के इस आक्षेप के बावजूद, उन्होंने स्वयं श्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपने प्रति-आरोपों के समर्थन में अख़बार की कतरनों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। मेरे विचार में, केवल अखबार की रिपोर्टों को ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है, और केवल विश्वसनीय परिस्थिति साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है, जब तक अन्यथा साबित न हो। सामंत एन. बालाकृष्णा आदि बनाम जॉर्ज फर्नांडिस एवं अन्य आदि [1969 एआई आर 1201, 1969 एससीआर (3) 603, 1969 एससीसी (3) 238] मामले में उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित समुक्ति की है:-

> "ऐसे किसी समाचार, जिसमें साक्षियों के माध्यम से आगे यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि वास्तव में क्या हुआ, का कोई महत्व नहीं है। अधिक से अधिक इसे ग्रहणीय गौण साक्ष्य माना जा सकता है। xxxx ऐसे समाचार स्वयं को प्रमाणित नहीं करते हैं, यद्यपि अन्य साक्ष्य के साथ इन पर विचार किया जा सकता है, यदि अन्य साक्ष्य सुस्पष्ट हों।"

तथापि, वर्तमान मामले में मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि इतने सारे समाचारपत्र और मीडिया चैनल किसी बात को गलत तरीके से प्रकाशित/प्रसारित क्यों करेंगे, और यदि ऐसा हुआ भी है, तो प्रतिवादी से कम-से-कम यह अपेक्षा थी कि वह इनका तत्काल खंडन करें और इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करे। इस मामले में अनेक प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय/राज्य समाचारपत्रों और मीडिया चैनलों ने वास्तव में प्रतिवादी द्वारा आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार करने और 27 अगस्त, 2017 को आरजेडी द्वारा आयोजित सार्वजनिक रैली को संबोधित करने और श्री नीतीश कुमार के निर्णय की आलोचना करने की खबर दिखाई थी। याची द्वारा प्रस्तुत वीडियो रिकॉर्डिंग्स तथा समाचार पत्रों की कतरनों/लेखों से मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रतिवादी ने अनेक अवसरों पर, विशेषकर विभिन्न मीडिया चैनलों को दी गई मीडिया बाइट/साक्षात्कारों में, श्री नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने के निर्णय, जिससे कि बिहार के जनता के जनादेश तथा भरोसे के साथ विश्वासघात हुआ है, की निंदा की है और यह दृढ़ता से कहा कि कि वह 27 अगस्त, 2017 को पटना में राजद द्वारा आयोजित रैली में शामिल होंगे। मैंने यह भी पाया है कि उन्होंने बिहार के कुछ जिलों में जन सभाओं के साथ-साथ 27 अगस्त, 2017 को पटना के गांधी मैदान में राजद की आम रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन का समर्थन किया है। इस तरह वीडियो रिकॉर्डिंग में पर्याप्त और संदेहातीत ऐसे प्रमाण हैं कि प्रतिवादी ने वास्तव में उक्त रैली में सम्मिलित होकर उसे संबोधित किया और अपने दल तथा उसके अध्यक्ष की खुलेआम आलोचना करते हुए बयान दिए। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने समाचारपत्रों की कतरनों/मीडिया रिपोर्टों में दिखाए जा रहे आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करने और उनका खंडन करने के स्थान पर स्वयं यह स्वीकार किया है कि उन्होंने विरोधी दल, अर्थात आरजेडी द्वारा आयोजित रैली में भाग लिया है और उसे संबोधित किया है। अत:, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वीडियो रिकार्डिंग्स के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसलिए भी, कि प्रतिवादी ने उनकी सत्यता पर सवाल नहीं उठाया है। इसलिए, मेरे लिए समाचारपत्रों की खबरों के अतिरिक्त वीडियो रिकार्डिंग्स के रूप में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि प्रतिवादी ने वास्तव में आरजेडी की रैली में भाग लिया है; महागठबंधन से अलग होने और भाजपा के समर्थन से सरकार

बनाने के अपने स्वयं के दल के निर्णय की आलोचना की है; और प्रतिवादी की स्वयं की स्वीकारोक्ति कि उसने रैली में भाग लिया है, जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी ने दल-विरोधी गतिविधियों में भाग लिया है, और इस प्रकार भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के उपबंध उस पर लागू होते हैं।

25. संयोगवश, मेरी जानकारी में यह तथ्य भी आया है कि प्रतिवादी के प्राथमिक तर्क, कि श्री छोटूभाई अमरसंग वसावा, कार्यवाहक अध्यक्ष के नेतृत्व वाला गुट, जिसमें वह और उनके समर्थक शामिल हैं, वास्तविक जेडी (यू) है को भारत के निर्वाचन आयोग के दिनांक 17 नवंबर, 2017 के आदेश द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। उस आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है :-

(i) दोनों समूहों द्वारा अपने-अपने दावों के समर्थन में लिखित और मौखिक, दोनों रूप में प्रस्तुत किए गए निवेदनों और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात आयोग मानता है कि संगठनात्मक और विधायी स्कंधों में बहुमत के समर्थन के परीक्षण का सिद्धांत, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने सादिक अली बनाम भारत चुनाव आयोग एवं अन्य (एआईआर 1972 एससी 187) में सही ठहराया है, और जिसे अतीत में ऐसे सभी मामलों में आयोग द्वारा लगातार लागू किया गया है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामले में लागू होगा।

(ii) श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाले प्रतिवादी गुट ने विधायी स्कंध में प्रचंड बहुमत और दल की राष्ट्रीय परिषद, जो कि दल का सर्वोच्च संगठनात्मक निकाय है, में बहुमत प्रदर्शित किया है।

(iii) तदनुसार, श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाले गुट को चिन्ह आदेश के पैरा-15 के उपबंधों के अनुसार जनता दल (यूनाइटेड) के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, श्री नीतीश कुमार बिहार के एक मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय दल के रूप में दल के लिए आरक्षित 'तीर' चिन्ह का उपयोग करने के पात्र हैं।

भारत के निर्वाचन आयोग के उक्त आदेशों ने जेडी(यू) के नेतृत्व और कौन सा गुट वास्तविक दल है, के संबंध में लंबित विवाद को विराम दे दिया है। इसके पश्चात भारत के निर्वाचन आयोग ने 25 नवम्बर, 2017 को इस संबंध में विस्तृत आदेश भी पारित किया है।

26. अपने आदेश की घोषणा से पहले, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कुछ पीठासीन अधिकारियों की, जिन्होंने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता संबंधी याचिका पर तर्कसंगत समय के भीतर निर्णय नहीं लिए, काफी आलोचना होती रही है। यह देखा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा इन याचिकाओं संबंधी निर्णय लेने में अनावश्यक देरी के बारे में चिंता जताई है। अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा बनाम कुलदीप बिश्नोई और अन्य (एआईआर 2013 एससी 120) मामले में, विधान सभा के अध्यक्ष ने निरर्हता की याचिका पर निर्णय लेने में व्यवहारिक तौर पर, लगभग चार वर्षों का समय लिया और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल पीठ और एक खण्डपीठ और अंतत: उच्चतम न्यायालय को दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के अपने आदेश में विधानसभा अध्यक्ष को इस याचिका पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निदेश देना पड़ा। उत्तर प्रदेश विधान सभा के दूसरे मामले में निरर्हता संबंधी याचिका पर निर्णय लेने में अध्यक्ष द्वारा इसी प्रकार की देरी की गई थी और अंतत: मामला उच्चतम न्यायालय के पास गया [मायावती बनाम मार्कण्डेय चंद और अन्य (1998 7 एससीसी 517)]। उच्चतम न्यायालय ने विधान सभा अध्यक्ष को मामला लौटाए जाने के बजाय विधायक को स्वयं निरर्ह करार दे दिया। ऐसे अनेक अन्य मामले भी है, जिनमें न्यायालयों ने ऐसी याचिकाओं पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी के बारे में चिंता जताई है। मेरा यह सुविचारित मत है कि ऐसी याचिकाएं जो लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के मूल सिद्धांतों से जुड़ी होती हैं और जिनमें यह प्रश्न अंतर्ग्रस्त होता है कि क्या कोई विधायक विशेष (विधि-निर्माता) विधान सभा में बैठने का हकदार है अथवा नहीं, को पीठासीन अधिकारियों द्वारा इसलिए लंबित और लटकाये नहीं रखा जाना चाहिए ताकि उस व्यक्ति की सदस्यता जिसे अन्यथा निरर्ह घोषित किया गया हो, को बचाया जा सके या सरकार को बचाया जा सके जो इस प्रकार के व्यक्तियों के कारण बहुमत में बनी रहती है। मेरा यह विचार है कि ऐसी सभी याचिकाओं पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा संबंधित सदस्यों जिनके विरूद्ध ऐसे आरोप हों, जिससे भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन वे निरर्ह हो जाएंगे, को नि:संदेह विधि के अनुसार अवसर देकर लगभग तीन महीनों के भीतर निर्णय दिया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक दल-बदल की बुराई को प्रभावी ढंग से निष्फल किया जा सके, जिसे यदि अनियंत्रित रखा गया तो उससे हमारे लोकतंत्र का मूल आधार और वे सिद्धांत जो इसे अक्षुण्ण बनाए हुए हैं, खोखले हो जाएंगे। पीठासीन अधिकारियों के पास निरर्हता संबंधी याचिकाओं के संबंध में न्याय-निर्णयन की शक्ति निहित किए जाने के पीछे विधि-निर्माताओं की मंशा उनके उचित और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने की थी जो कि दिनांक 30 जनवरी, 1985 को लोक सभा में संविधान (52वां संशोधन) विधेयक, 1985 को प्रस्तुत करते समय तत्कालीन विधि मंत्री के निम्नलिखित वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है :--

"यदि इस विधेयक को प्रभावी बनाना है और यदि दल-बदल को कारगर ढंग से नियम-विरूद्ध घोषित करना है तो हमें एक मंच का चयन करना होगा जो इस मामले पर निर्भीकता और शीघ्रता से निर्णय लेगा। यह एकमात्र ऐसा संभव मंच है।"

तत्कालीन प्रधान मंत्री ने भी, दिनांक 31 जनवरी, 1985 को राज्य सभा में इस विधेयक के संबंध में हुई चर्चा में भाग लेते हुए इसी प्रकार की समुक्ति की थी:--

> "हमने इस विधेयक में इसे यथासंभव लिखित में बनाने का प्रयास किया है ताकि किसी के द्वारा निर्णय लेने के समय कोई बात अस्पष्ट न रह जाए। यह निर्णय स्वचालित, अभिलेखबद्ध घटनाओं के क्रम द्वारा समर्थित, होने चाहिएं ताकि उसके बारे में वाद-विवाद की कोई संभावना न हो। हमने यह भी सोचा है कि विधेयक का प्रचालन भी त्वरित हो ताकि सांसदों की खरीद-फरोख्त करने या अन्य किसी समस्या के उत्पन्न होने के लिए कोई समय न मिल पाए। यही कारण है कि हमने इसका निर्णय किया जाना सभापति या लोकसभाध्यक्ष पर छोड़ दिया है।"

इस परिस्थिति में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि नियमों के नियम 7 के उप-नियम (3) में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित है कि कोई सदस्य जिसके संबंध में याचिका प्रस्तुत की गई है, याचिका की प्रति की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर या ऐसी आगामी अवधि जिसकी सभापति पर्याप्त कारण से अनुमति देते हैं, के भीतर उसके संबंध में सभापति को लिखित में अपनी टिप्पणियां भेजेगा। केवल यही तथ्य कि नियमों में प्रतिवादी को उसके विरुद्ध दायर निरर्हता संबंधी याचिका पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए केवल सात दिन का समय दिया गया है, निरर्हता संबंधी याचिका के शीघ्रता से निपटान के लिए नियम की मंशा की ओर स्पष्ट संकेत करता है। वर्तमान मामले में, याचिका 2 सितम्बर, 2017 को दाखिल की गई थी और मेरे आज के, अर्थात दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 के आदेश द्वारा इसका शीघ्रता से निपटान किया जा रहा है।

27. मामले के तथ्यों, प्रतिवादी और याचिकाकर्ता की टिप्पणियों, 8 नवंबर, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के मौखिक साक्ष्य और आठवीं लोक सभा की विशेषाधिकार समिति और रवि नाइक बनाम भारत संघ मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 1994 के निर्णय में की गई समुक्तियों और इसी तरह के दल-विरोधी मामलों में की गई समुक्तियों पर विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि अपने आचरण, कृत्यों और भाषणों से प्रतिवादी, श्री शरद यादव ने स्वेच्छा से राजनीतिक दल, जनता दल (यूनाईटेड) की सदस्यता का परित्याग कर दिया है जिस दल की ओर से वह 2016 में बिहार राज्य से राज्यसभा के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे और ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे।

28. इसलिए, मेरा यह निर्णय है कि भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के उपबंधों के अनुसरण में, श्री शरद यादव सदन के एक सदस्य के रूप में निरर्हक हो गए हैं। इस प्रकार, वह तत्काल प्रभाव से राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। मैं तद्नुसार यह निर्णय लेता हूं और इसकी घोषणा करता हूं।

नई दिल्ली — एम.वेंकैया नायडु

4 दिसम्बर, 2017 — सभापति, राज्य सभा

देश दीपक वर्मा, महासचिव

**RAJYA SABHA SECRETARIAT**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December , 2017

**No.RS.46/2017-T** — The following decision, dated the 4th of December, 2017, of the Chairman, Rajya Sabha, in the matter of petition of Shri Ram Chandra Prasad Singh, Member, Rajya Sabha, in relation to Shri Sharad Yadav, another Member of the Rajya Sabha, given under paragraph 6(1) of the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:——

**"ORDER**

Shri Ram Chandra Prasad Singh, Member and Leader of the Janata Dal (United) [JD(U)] in Rajya Sabha *(hereinafter called 'the Petitioner')*, filed a petition before me on the 2nd of September, 2017, under Article 102 (2) read with paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution of India and Rule 6 of the Members of the Rajya Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985 *(hereinafter called 'the Rules')* praying that Shri Sharad Yadav,

Member, Rajya Sabha *(hereinafter called 'the Respondent')*, be disqualified under the Tenth Schedule to the Constitution and his seat be declared vacant in the Rajya Sabha. In his petition, the Petitioner averred that the Respondent, Shri Sharad Yadav, who was elected to the Rajya Sabha on the ticket of Janata Dal (United) from the State of Bihar on the 8th of July, 2016, had by his repeated conduct, public/press statements against the JD(U) and its leadership and openly aligning with a rival political party, *namely*, the Rashtriya Janata Dal (RJD), proved that he has voluntarily given up the membership of the party, thus becoming subject to disqualification under the Tenth Schedule to the Constitution. The main contention of the Petitioner is that the Respondent instead of adhering to the unanimous decision taken on the 26th of July, 2017 by the JD(U) and its President, Shri Nitish Kumar to withdraw from the *Mahagathbandhan* and the coalition Government formed in Bihar in 2015, started anti-party activities by publicly denouncing the party's decision. He campaigned with RJD leaders and workers between the 10th and the 12th of August, 2017 in different districts of Bihar and attended the public rally called by the rival political party, *i.e.,* RJD, in Patna on the 27th of August, 2017 despite written directive from Shri K.C. Tyagi, Secretary-General of the party advising him not to attend the rally and also conveying to him that his participation in the rally would be construed not only against the principles of high morality but also as voluntarily giving up the membership of the JD(U). The Petitioner had annexed newspaper clippings, media reports and videos as proof of the allegations.

2. Having satisfied myself that the Petition complies with the requirements of Rule 6 of the Rules and in terms of sub-rule (3) of Rule 7, I, on the 11th of September, 2017, caused a copy of the Petition along with all Annexures thereto to be forwarded to the Respondent, in relation to whom the Petition had been made, with the request to furnish his comments thereon, in writing within seven (7) days of the receipt of the same. In response thereto, the Respondent, *vide* letters dated the 15th and 18th of September, 2017, sought extension of one month time for furnishing his comments on the Petition. In the interest of justice, however, I decided to grant him extension of time till the 25th of September, 2017 for furnishing his comments, and this was communicated to him, *vide* Rajya Sabha Secretariat's letter dated the 18th of September, 2017.

3. The Respondent furnished his comments on the 22nd of September, 2017, wherein he contested all the averments made, arguments advanced and contentions raised in the Petition and sought dismissal of the Petition, under sub-rule (2) of Rule 7 of the Rules, on ground of non-compliance with the requirements of Rule 6. The Respondent stated that he being a founding member of the JD(U) has remained committed to its principles and continues to be a member of the party and has never intended to give up, least of all voluntarily give up the membership of the party or form a new political party. He contended that the question of 'voluntarily giving up membership of the party' can be determined only after decision of the question as to which the 'real party' is and since his faction's application, under paragraph 15 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, requesting for recognition of their faction as the real JD(U) on the basis of majority support commanded by them within the JD(U), is pending before the Election Commission of India (ECI), a decision on the Petition may be taken only after final decision by the ECI. He counter-alleged that it is Shri Nitish Kumar and his faction, who have voluntarily given up the membership of the JD(U) by withdrawing from the *Mahagathbandhan*, which was formed as a common front against the Bharatiya Janata Party (BJP), and subsequently aligning with the BJP, thus blatantly betraying the trust reposed by the people of Bihar and their mandate. He also alleged that Shri Nitish Kumar has split from the real JD(U) due to pure political and opportunistic reasons, in violation of the constitution of the party. His main contention was that 'criticism of the decision of party leaders, taken in violation of the constitution of the party, does not entail voluntarily giving up of the membership of the party'. The Respondent questioned the use of newspaper articles/media clippings by the Petitioner as evidence and stated that they cannot be relied upon in the absence of any corroborative material. He had also annexed newspaper clippings and media reports in the form of videos in support of his allegations against Shri Nitish Kumar, President of the JD(U).

4. On perusal of the records of the previous cases of disqualification under the Tenth Schedule in the Rajya Sabha, I observed that the procedural requirements of the Committee of Privileges often entail a longer time frame for conduct of preliminary inquiry and preparation and submission of final Report, ultimately causing a delay in the proceedings and determination of the final question, which is against the very grain and object of the Tenth Schedule. This also tantamounts to subverting the essence of the Anti-Defection Law, *namely*, to curb the menace of defection, by allowing a member to continue his membership without facing the consequences of defection. The Supreme Court in its Order, dated the 11th of December, 2006, in *Jagjit Singh Vs. State of Haryana & Ors [(2006) 11 SCC 1]*, had observed as follows:—

> *" Despite defection a member cannot be permitted to get away with it without facing the consequences of such defection only because of mere technicalities."*

Further, sub-rule (4) of Rule 7 of the Rules reads as follows:—

> *" After considering the comments, if any, in relation to the petition, received under sub-rule (3) within the period allowed (whether originally or on extension under that sub-rule), the Chairman may either proceed to determine the question or, if he is satisfied, having regard to the nature and circumstances of the case that it is necessary or expedient so to do, refer the petition to the Committee for making a preliminary inquiry and submitting a report to him."*

From a perusal of this, it is very clear that it is not mandatory to refer each and every case to the Committee of Privileges, as a matter of routine. Depending upon the nature and circumstances of the case, the Chairman may or may not refer the petition to the Committee for making a preliminary inquiry. When the facts of the case are clear, the Chairman in his wisdom may decide to proceed in the matter on his own. Attention is also drawn to the use of the word 'preliminary inquiry' in sub-rule (4) of Rule 7, which means that even after preliminary inquiry by the Committee, it is for the Chairman to finally analyze the facts and come to a final conclusion. Keeping in view these facts, I decided to proceed with the determination of the question of disqualification of the Respondent myself. Therefore, in the interest of justice, I directed, on the 7th of October, 2017, to forward the comments of the Respondent to the Petitioner, for his comments thereon, within seven (7) days of receipt of the same.

5. The Petitioner, in his comments, dated the 13th of October, 2017, reiterated the facts already stated in his petition and submitted that the comments of the Respondent were more in the form of an ideological speech and have failed to answer the specific averments made and refute the allegations made in a substantial manner. He outrightly rejected the claim of the Respondent that a dispute with respect to the internal functioning of the party is pending before the ECI and termed it as factually incorrect stating that the ECI had, in fact, refused to take cognizance of the petition filed in this regard. The Petitioner stated that existence of a dispute within the party is neither relevant nor germane to the determination of a disqualification petition; but, it is the conduct of the individual that needs to be examined. He contended that the onus of establishing the veracity of the contents of the newspaper articles/media clippings as false lay with the Respondent and that failure to deny or refute amounts to acceptance. As regards the Respondent's allegation of betraying the trust and mandate of the people of Bihar by withdrawing from the *Mahagathbandhan*, the Petitioner has contended that Shri Nitish Kumar had to withdraw from the coalition Government and resign as Chief Minister of Bihar on the 26th of July, 2017, in accordance with the decision taken by the Extended State Executive of JD(U) Bihar including MLAs, MLCs, MPs (Rajya Sabha and Lok Sabha), all District Presidents and all Presidents of various units/wings/cells of the party in its meeting held on the 11th of July, 2017, asking him not to compromise on the serious issues of corruption, money laundering and benami properties against some leaders of the coalition party, *i.e.,* RJD, appearing in public domain and the raids conducted against them by the investigating agencies; and further asking him to take necessary action, as he deemed fit. This decision of Shri Nitish Kumar to withdraw from the *Mahagathbandhan* and resign as Chief Minister of Bihar was unanimously approved by the Legislature Party in its meeting held on the 26th of July, 2017 and by the National Executive and National Council of JD(U) in its meeting held on the 19th of August, 2017. Shri Nitish Kumar accepted the unconditional support offered by BJP in appreciation of his principled stand against corruption, formed the Government and was sworn in as Chief Minister on the 27th of July, 2017. He also proved his majority on the floor of the Legislative Assembly of Bihar on the 28th of July, 2017. The Petitioner had alleged that the Respondent did not attend the meeting of the National Executive and National Council held on the 19th of August, 2017, to which he was invited and where he could have voiced his concerns, but chose instead to hold a parallel meeting, which was attended mainly by RJD workers. The Petitioner had held that *Mahagathbandhan* was merely a political alliance formed on a common minimum programme to fight elections for the Legislative Assembly in Bihar and there can never be any compulsion on the constituents of a coalition to remain welded despite fundamental differences. He also dismissed the claim of the Respondent as founding member of the party and observed that even if his claim is admitted for the sake of argument, that does not confer any special rights on him to take his own decisions, which are contrary to the unanimous views and decisions of the party. No political party especially the JD(U) with strong and deep rooted commitment against corruption in public life shall permit any of its member to align with a political party, whose leaders are embroiled in corruption with serious charges of benami property dealings and money laundering.

6. The Respondent, on the 11th of October, 2017, filed an application requesting for a personal hearing and to take on record the Resolution adopted by the National Council of JD(U), in its meeting held on the 8th of October, 2017, wherein they had *inter alia* accused Shri Nitish Kumar of conspiratorial action to eliminate any chance of opposition against him by not holding organizational elections within JD(U) from April, 2016 onwards and declaring the decisions taken by him from 10th April, 2016 onwards as illegal and void *ab initio.*

7. With a view to afford a reasonable opportunity to the Respondent to represent his case and be heard in person, in terms of sub-rule (7) of Rule 7, I directed that a notice, along with a copy of the comments, dated the 13th of October, 2017 of the Petitioner, on the reply dated the 22nd of September, 2017 of the Respondent to the Petition, be issued to the Respondent informing him that an opportunity for oral hearing before me has been granted to him at 9.30 A.M. on the 30th of October, 2017 in my room, *i.e.,* Room No. 216, Second Floor, Block A, Parliament House Annexe Extension (PHA Extn.) Building, New Delhi. This was conveyed to him, *vide* Rajya Sabha Secretariat's letter, dated the 18th of October, 2017.

8. Meanwhile, the Respondent filed another application, dated the 18th of October, 2017, and forwarded it, *vide* letter dated the 20th of October, 2017, wherein he drew my attention to the application, dated the 17th of October, 2017, filed before the ECI, under paragraph 15 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, for recognition of the JD(U) led by Shri Chhotubhai Amarsang Vasava, Acting President and for allotment of the party symbol, *i.e.,* Arrow, with respect to Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 and paragraph 13 and 13A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968. This fresh application was filed after rejection of their earlier applications in this regard for want of documentary evidence and in response to the ECI's letter, dated the 27th of

September, 2017, stating that they may file a fresh application along with documentary evidence in support of their claim. The Respondent had requested to take on record the additional facts and documents filed along with the application, but had not enclosed Annexure-4 thereto, *namely*, the Application, dated the 17th of October, 2017, filed before the ECI, citing that it was voluminous running into 3000 pages along with 429 affidavits by the members of the National Council of JD(U) and might be made available, whenever required by the Rajya Sabha Secretariat.

9. The Respondent, *vide* letter dated the 23rd of October, 2017, sought extension of 8 weeks time for appearing for the oral hearing citing meetings/engagements relating to the forthcoming elections to the Legislative Assemblies of the States of Gujarat and Himachal Pradesh. However, after considering his request, I granted him extension of one week and directed him to appear in person before me to represent his case at 10.00 A.M. on the 8th of November, 2017 in my room, *i.e.,* Room No. 216, Second Floor, Block A, Parliament House Annexe Extension (PHA Extn.) Building, New Delhi and also informed him that no further extension would be granted in this case. This was communicated to him, *vide* Rajya Sabha Secretariat's letter, dated the 24th of October, 2017.

10. The Respondent, *vide* letter dated the 4th of November, 2017, requested to allow him to appear for the oral hearing accompanied by two Advocates, *namely*, Shri Kapil Sibal and Shri Devadatt Kamat. Subsequently, another letter, dated the 7th of November, 2017, was received from him requesting to allow four more Advocates, *namely*, Shri Mohammad Nizamuddin Pasha, Shri Javedur Rahman, Shri Rajesh Inamdar and Shri Aditya Bhatt. I considered his requests and decided not to accede to them, as there was neither any provision in the Rules for the purpose nor any precedents in the Rajya Sabha and the same was communicated to him, *vide* Rajya Sabha Secretariat's letter, dated the 7th of November, 2017.

11. Meanwhile, the Respondent filed a third application, dated the 7th of November, 2017, wherein he reiterated the points already submitted by him in his comments on the Petition and his two applications. All the points raised in the application pertain to internal party matters, which are not subject matters of the Tenth Schedule and, therefore, do not fall within my jurisdiction.

12. The Respondent appeared in person before me at 10.10 A.M. on the 8th of November, 2017. At the outset, he handed over a letter, dated the 7th of November, 2017, and again requested that his Advocates should be allowed to represent and argue his case before me on his behalf and alleged that by not acceding to his requests, the principles of natural justice have been violated. The Respondent reiterated that it is not him, but Shri Nitish Kumar and his supporters, who had abandoned the party by acting in violation of the party constitution and rules. He also informed that the dispute as to which faction is the real JD(U) is pending before the ECI and will be decided by them after the hearing scheduled on the 13th of November, 2017. In the letter handed over to me by the Respondent, which was taken on record, he had stated that since the hearing in any matter under the Tenth Schedule is in the nature of quasi-judicial proceedings, for this purpose, the Speaker/Chairperson has been held to be a Tribunal by the Hon'ble Supreme Court in a catena of judgements and that the order of the Chairman is subject to judicial review by the constitutional courts of the country, as in the case of any other Tribunal. Moreover, the proceedings before this Tribunal has all the trappings of a Court, since the issue is taken up only on a complaint made to the Chairman and the necessity to be represented through Advocates arises as the matter involves complicated issues of constitutional law requiring interpretation of the provisions of the Tenth Schedule. He contended that there is no bar in Rule 7(7) of the Rules against a member appearing before the Hon'ble Chairman through an Advocate, as it is evident that the provision for being heard in person is in addition to being allowed legal representation. In view of the number of instances of proceedings under the Tenth Schedule in Parliament as well as in State Legislative Assemblies wherein arguments have been addressed by the Advocates and full-fledged trials have been conducted, he had requested for an opportunity on any date of my convenience to appear before me and present his case through Advocates as well as in person. He had also stated that if his request is not acceded to, I may proceed with the hearing in his absence under protest.

13. I informed the Respondent that his written requests to allow Advocates to accompany him for the oral hearing had not been acceded to after careful scrutiny of the case, the Rule position, the well-established practice and the precedents in the Rajya Sabha including the decision of my predecessor in the disqualification case of Shri Isam Singh (2008), wherein he had categorically disallowed Shri Isam Singh's repeated requests for bringing his Advocate to the oral hearings. Further, after careful consideration of his submission, I find no reason to change my earlier decision taken on the 7th of November, 2017, disallowing Advocates to accompany him for the oral hearing. Moreover, defence through Advocates is not allowed to either of the parties in such proceedings traditionally and therefore there is a balance of judgement. I also told him that it is evident from his detailed replies that the same were prepared by or in consultation with the Advocates and that he should have come prepared for the oral hearing after consulting them. When asked whether he has anything else to adduce besides the facts already submitted in writing, the Respondent stated that he had nothing to add, but reiterated his request to allow his Advocates to represent his case.

14. As regards the contention of the Respondent, that the Chairman functions as a Tribunal in matters under the Tenth Schedule and, therefore, the proceedings before this Tribunal have all the trappings of a Court, the following observations made by the Supreme Court in its judgement, dated the 18th of February, 1992, in *Kihoto Hollohan Vs. Zachillhu and Others [1992 SCR (1) 686, 1992 SCC Supl. (2) 651, JT 1992 (1) 600, 1992 SCALE (1) 338]*, clarifying the role of the Speaker or the Chairman as a Tribunal under the Tenth Schedule, are apposite:–

*" All tribunals are not courts, though all courts are tribunals. By 'courts' is meant courts of civil judicature and by 'tribunals', those bodies of men who are supposed to decide controversies arising under certain special laws. Where there is a lis - an affirmation by one party and denial by another - and the dispute necessarily involves a decision on the rights and obligations of the parties to it and the authority is called upon to decide it, there is an exercise of judicial power. That authority is called a Tribunal, if it does not have all the trappings of a Court. Thus, the Speaker or the Chairman, acting under Paragraph 6(1) of the Tenth Schedule is a Tribunal."*

The following observations made by the Supreme Court in its judgement, dated the 11th of December, 2006, in *Jagjit Singh Vs. State of Haryana & Ors. [(2006) 11 SCC 1],* are also relevant in the context:—

*" The question whether reasonable opportunity has been provided or not cannot be put in a strait-jacket and would depend on the fact situation of the case. At the outset, we may mention that while considering the plea of violation of principles of natural justice, it is necessary to bear in mind that the proceedings, under the Tenth Schedule, are not comparable to either a trial in a court of law or departmental proceedings for disciplinary action against an employee. The scope of judicial review in respect of proceedings before such Tribunal is limited. We may hasten to add that howsoever limited may be the field of judicial review, the principles of natural justice have to be complied with and in their absence, the orders would stand vitiated. The yardstick to judge the grievance that reasonable opportunity has not been afforded would, however, be different. Further, if the view taken by the Tribunal is a reasonable one, the Court would decline to strike down an order on the ground that another view is more reasonable. The Tribunal can draw an inference from the conduct of a member, of course, depending upon the facts of the case and totality of the circumstances.*

*While applying the principles of natural justice, it must be borne in mind that 'they are not immutable but flexible' and they are not cast in a rigid mould and cannot be put in a legal strait-jacket. Whether the requirements of natural justice have been complied with or not has to be considered in the context of the facts and circumstances of a particular case."*

In view of the above said observations of the Supreme Court *vis-a-vis* the facts and circumstances of the instant case, there has been, in my considered view, no violation of the principles of natural justice by not acceding to the Respondent's request that advocates be permitted to accompany him during the oral hearing. As a matter of fact, quite in line with the principles of natural justice and also in keeping with the requirements of Rule 7 (7) of the Rules, the Respondent was offered a reasonable opportunity of being heard in person to represent his case.

15. According to paragraph 2 (1) of the Tenth Schedule of the Constitution, a Member can be disqualified in the following circumstances:—

(a) if he/she voluntarily gives up the membership of the political party to which he/she belongs; or

(b) when he/she votes or abstains from voting in the House, contrary to any direction issued by the political party to which he/she belongs, without obtaining prior permission and such voting or abstention has not been condoned by such party, within 15 days from the date of such voting or abstention.

Obviously, the case falls under paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule. I would now proceed to examine the merits of this case under this provision.

16. I have observed from perusal of the records, *i.e,* the Petition and the comments of the Respondent on the Petition along with all Annexures thereto, the comments of the Petitioner on the said comments of the Respondent, the facts submitted by the Respondent through his additional applications along with all Annexures thereto and the facts presented by him during the oral hearing, that the Respondent, instead of specifically denying or refuting the allegations of indulging in anti-party activities levelled against him by the Petitioner, was only trying to establish that the decision of Shri Nitish Kumar to withdraw from the *Mahagathbandhan* and to align with the BJP has resulted in a split in the JD(U) into two factions - one headed by Shri Nitish Kumar and another comprising him and his supporters and that the latter group commanded majority support within the JD(U) and that a dispute in this regard was pending before the ECI. The main line of argument adopted by him was that it was not him, but Shri Nitish Kumar and his faction, who had voluntarily given up the membership of the JD(U), by violating the aims and objects laid down in the party constitution and acting against the principles on which the party was founded, thereby becoming subject to disqualification under the Tenth Schedule. However, he has failed to produce any clinching documentary or other evidence to substantiate his claim. Further, paragraph 1 of the Tenth Schedule to the Constitution, defines the 'Legislature Party' and the 'Original Political Party' as follows:—

*" Interpretation 1. XXXXXXX*

*(b) "legislature party", in relation to a member of a House belonging to any political party in accordance with the provisions of paragraph 2 or [xxx] paragraph 4, means the group consisting of all the members of that House for the time being belonging to that political party in accordance with the provisions;*

*(c) "original political party", in relation to a member of a House, means the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2."*

It does not take cognizance of any political alliance made by political parties. The *Mahagathbandhan* was a political alliance of some political parties formed for the purpose of contesting the 2015 Legislative Assembly elections in Bihar and JD(U) was one of its constituents. As such, leaving or joining of any political alliance by political parties does not fall within the purview of the anti-defection Law.

17. The Respondent's harping on a pending dispute regarding the JD(U) before the ECI is not germane to the determination of the disqualification petition, since it is purely an internal matter of the party falling outside the purview of the Tenth Schedule and, therefore, outside my jurisdiction. In any case, as per facts furnished by the Petitioner and the Respondent himself, ECI had rejected the claim of the group supported by the Respondent twice, citing lack of documentary evidence in support thereof. The Respondent has questioned the validity of the decision pertaining to his removal from the post of the Leader of the JD(U) Legislature Party in Rajya Sabha and the legal and moral authority of Shri K.C. Tyagi, Secretary-General of the JD(U) to issue him a directive not to attend the rally called by RJD. In this context, I have to go by the dictum that in a democracy, it is the rule of the majority and the voice of the majority that will have to be accepted. If a dispute is, therefore, raised regarding the leadership of a legislature party/group, I have to examine and decide on the material and evidence placed before me by each side, on which they have based their claim. In the instant case, the Respondent has failed to prove with documentary or other evidence that his group commands majority support within the JD(U) Legislature Party in Rajya Sabha. On the contrary, Shri Ram Chandra Prasad Singh was unanimously elected to the post of the Leader of the JD(U) Legislature party in Rajya Sabha, in the meeting of their parliamentary party held in New Delhi, on the 11th of August, 2017, and this was intimated to the Rajya Sabha Secretariat by Shri Kaushalendra Kumar, Member, Lok Sabha and Leader of the JD(U) in Parliament. This was taken cognizance of by the Rajya Sabha Secretariat and the records of the Rajya Sabha were updated accordingly. Moreover, as per the documents submitted by JD(U) to the ECI after the organizational elections of 2016, Shri K.C. Tyagi is currently the Secretary-General of JD(U). The claim of the Respondent that the Petitioner does not have the *locus* to file the Petition, is also not tenable, since the Petitioner, Shri Ram Chandra Prasad Singh is a Member of the Rajya Sabha and as per the Rules, any Member of the Rajya Sabha can file a petition seeking the disqualification of any other Member.

18. The very fact that the Respondent had attended and addressed the public rally called by the rival political party, *i.e.,* RJD in Patna on the 27th of August, 2017, despite written directive from Shri K.C. Tyagi, Secretary-General of JD(U), advising him not to attend the same and cautioning him that his participation therein would be construed as voluntarily giving up membership of the JD(U), is enough to establish beyond doubt that he has no regard for the party directive and has blatantly violated it. Further, the fact that he had supported the application filed before the ECI against Shri Nitish Kumar, President of the JD(U) and had with the support of some members of the JD(U), moved and adopted Resolutions declaring the decisions of Shri Nitish Kumar as illegal, invalid and void, regarding which he had himself submitted documentary evidence, also establish beyond doubt that he has indulged in anti-party activities. His public denouncement of Shri Nitish Kumar's decision to withdraw from the *Mahagathbandhan* and align with the BJP and publicly aligning with the rival party of JD(U), *namely,* Rashtriya Janata Dal (RJD), by supporting their leaders and policies, sharing of dias and addressing their meetings/rally, all of which he has neither denied nor refuted, also testify to the fact that he no longer supports the policies and decisions of the party, on whose ticket he was elected. It also appears from the facts presented before me that the Respondent, instead of raising his objections within the party forum, for which ample opportunities were available to him, *namely,* meeting of the Extended State Executive of JD(U) Bihar on the 11th of July, 2017, and of the National Executive and the National Council of JD(U) on the 19th of August, 2017, went ahead with his criticism of the party policies and decisions of his party President in media as well as on public platforms, including meetings/rally of the rival political party. Though the Respondent had stated in his comments on the Petition that he had expressed his disapproval of the decision to withdraw from the *Mahagathbandhan* to Shri Nitish Kumar on the 12th of August, 2017, he did not submit any documentary proof or other material/evidence in support thereof. He also did not clarify the response of Shri Nitish Kumar thereto. The Respondent has held that criticism of the decision of party leaders, taken in violation of the constitution of the party, does not entail voluntarily giving up of the membership of the party**.** Here, I would like to mention that a political party, which is an essential part of the democratic set up, works through collective decisions. Though one might have differences with the decision of the party, he is ultimately to follow the collective decision of the party. He has every right to air his views in the meetings and forums of the party before a decision is taken and may be even after that also. But if a member of any political party starts criticizing the decisions of his own party publicly, after the decision has been taken, and goes to the extent of attending and addressing the rallies of the rival political parties, it will fall under anti-party activity and in case, the person concerned is a Member of the State Legislature or Parliament, this amounts to voluntarily giving up the membership of the party, thus incurring disqualification under the Tenth Schedule. In my considered opinion, a Member gets elected as a candidate of a political party because of the policies and manifestos of the party and if the Member criticizes his party publicly, he will be deemed to have given up his membership of the political party voluntarily.

19. Paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule states that 'a member of a House belonging to a political party shall be disqualified for being a member of the House, if he has voluntarily given up his membership of such political party'. The term 'voluntarily given up membership' has been amply clarified by the Supreme Court in its judgement, dated the 9th of February, 1994, in *Ravi Naik Vs. Union of India [1994 AIR 1558, 1994 SCR (1) 754, 1994 SCC Supl. (2) 641, JT 1994 (1) 551, 1994 SCALE (1) 487]*, wherein the Court had *inter alia* observed as follows:—

> *" The words 'voluntarily given up his membership' are not synonymous with 'resignation' and have a wider connotation. A person may voluntarily give up his membership of a political party even though he has not tendered his resignation from the membership of that party. Even in the absence of a formal resignation from the membership an inference can be drawn from the conduct of a member that he has voluntarily given up his membership of the political party to which he belongs."*

In the same case, the Supreme Court had upheld the decision of the Speaker of the Goa Legislative Assembly disqualifying two MLAs, who were elected on the ticket of the Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP), on the conduct alone of their accompanying the Leader of the Congress (I) Legislature Party in Goa, when he met the Governor to show that he had the support of twenty MLAs.

20. The Supreme Court in its orders, dated the 24th of January, 1996, in *G. Viswanathan Vs. The Hon'ble Speaker, Tamil Nadu Legislative Assembly, Madras & Another [1996 AIR 1060, 1996 SCC (2) 353, JT 1996 (1) 607, 1996 SCALE (1) 531]*, had also *inter alia* observed as follows:—

> *"The act of voluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied."*

21. Prior to the above-said observations of the Supreme Court in the *Ravi Naik* case, the Committee of Privileges (Eighth Lok Sabha) had also pondered over the meaning of the term 'voluntarily giving up membership' and made the following observations:—

> *" The Committee have also considered as to what amounts to voluntarily giving up of membership of a political party by a member. The Committee notes that the words used in paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule are: 'If he has voluntarily given up his membership of such political party' and not 'if he has voluntarily resigned from such political party'. The Committee feel that the use of words 'voluntarily given up' is very significant ......To insist that a letter of resignation to the competent authority, voluntarily tendered would alone disqualify would be placing too narrow an interpretation on the constitutional provision and would in fact negate the very objective which Parliament had in mind while enacting the Constitution (Fifty-second Amendment) Act and that such an interpretation would lead to gross circumvention of the provisions of the Tenth Schedule.*
>
> *The Committee are convinced that it was with a view to obviating such situations that the words 'voluntarily given up' were used in paragraph 2(1)(a). As the law does not define the precise manner in which the membership is to be given up, the words have to be interpreted according to the spirit in which they have been used in the Act. The intention of the law-makers is quite clear: that it is not only by the overt act of tendering his resignation but also by his conduct that a member may give up the membership of his political party. The Committee are of the view that if a member by his conduct makes it manifestly clear that he is not bound by the party discipline and is prepared even to wreck it by his conduct, he should be prepared to pay the price of losing his seat and seeking re-election."*

22. In another decision, dated the 27th of October, 2004, in *Dr. Mahachandra Prasad Singh Vs. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors. [(2004) 8 SCC 747]*, the Supreme Court had observed as follows:—

> *" Therefore, the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraph (1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect."*

23. In view of such authoritative pronouncements by the Hon'ble Supreme Court, while deciding the petition in which the allegation is of the violation of paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule, the role of the Chairman, as the designated authority, is only in the domain of ascertaining the facts and once the facts are gathered or placed to show some action, express or implied, within the meaning of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule, to take a decision in the matter. The limited role which a Presiding Officer has to perform under the above-cited paragraph of the Tenth Schedule has been amply clarified by the Supreme Court in *Dr. Mahachandra Prasad Singh Vs. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors. [(2004) 8 SCC 747]*, where it had observed as under:—

> *" It may be noticed that the nature and degree of inquiry required to be conducted for various contingencies contemplated by paragraph 2 of the Tenth Schedule may be different. So far as clause (a) of paragraph 2 (1) is concerned, the inquiry would be a limited one, namely, as to whether a member of the House belonging to any political party has voluntarily given up his membership of such political party."*

As such, it now remains for me to decide, whether expressly or by implication, the Respondent has voluntarily given up the membership of his political party, *namely*, the JD (U). From the actions and statements of the Respondent based on the material/evidence presented before me, it can be inferred that he has voluntarily given up his membership of JD(U), on whose ticket he was elected to the Rajya Sabha.

24. The Petitioner had relied mainly on newspaper clippings and video recordings which appeared on various TV channels as proof of the anti-party activities of the Respondent and his having voluntarily given up membership of the JD(U). The Respondent has objected to the use of newspaper clippings and video recordings as evidence by the Petitioner contending that newspaper articles cannot be relied upon as evidence in the absence of any corroborative material. However, it is ironical that despite this objection of the Respondent, he himself has resorted to newspaper clippings as evidence in support of his counter-allegations against Shri Nitish Kumar. In my view, the newspaper reports alone cannot be taken as substantive evidence, and at best can be taken as providing reliable circumstantial evidence, unless proved otherwise. It has *inter alia* been observed by the Hon'ble Supreme Court in *Samant N. Balakrishna etc. Vs. George Fernandez and Ors. etc. [1969 AIR 1201, 1969 SCR (3) 603, 1969 SCC (3) 238],* as follows:—

> *" A news item without any further proof of what had actually happened through witnesses is of no value. It is at best a secondhand secondary evidence. xxxxxxx Such news items cannot be said to prove themselves although they may be taken, into account with other evidence, if the other evidence is forcible."*

However, in the instant case, I see no reason as to why so many newspapers and media channels would publish/report something wrongly and if that was so, then the least that was expected of the Respondent was to forthwith deny the same and issue clarification/explanation in that regard. In this case, many leading national and regional/state newspapers and media channels did in fact report about the Respondent campaigning with RJD leaders and workers and his addressing the public rally called by RJD on the 27th of August, 2017, as well as his criticism of Shri Nitish Kumar's decision. From the video recordings and newspaper clippings/articles provided by the Petitioner, I have found that the Respondent had on numerous occasions, particularly in media bytes/interviews to various media channels, disapproved the decision of Shri Nitish Kumar to withdraw from the *Mahagathbandhan* and form the Government in alliance with BJP, thus betraying the trust and mandate of the people of Bihar and affirmed that he would be attending the rally called by RJD in Patna on 27th of August, 2017. I have also found him speaking in support of the *Mahagathbandhan* in public meetings in some districts of Bihar as well as addressing the public rally of the RJD held at Gandhi Maidan in Patna on the 27th of August, 2017. The video recordings thus provide ample and irrefutable proof that the Respondent had indeed attended and addressed the said rally and made statements openly criticizing the decision of his party and its President. Further, the Respondent instead of categorically denying or refuting the allegations appearing in the newspaper clippings/media reports, has himself admitted that he had attended and addressed the rally organized by the rival political party, *i.e,* RJD. Therefore, there is no reason to presume that the video recordings are doctored, more so, since the Respondent himself has not questioned their veracity. Therefore, apart from the newspaper reports, there are more than sufficient material, in the form of video recordings corroborating the fact that the Respondent had, in fact, taken part in the rally of RJD; criticized his own party's decision to leave the *Mahagathbandhan* and form the Government with the support of the BJP; and the Respondent's own admission of having attended the rally, for me to come to a finding that the Respondent has indulged in anti-party activities, thus attracting the provisions of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

25. Incidentally, it has also come to my notice that the primary argument of the Respondent that the group led by Shri Chhotubhai Amarsang Vasava, Acting President, to which he and his supporters belong, is the real JD(U) has been outrightly rejected by the Election Commission of India *vide* Orders, dated the 17th of November, 2017, which *inter alia* reads, as follows:—–

> *" (i) Having considered the submissions, both written and oral, and the documents submitted in support of their respective claims by the two groups, the Commission holds that the principle of test of majority support in the organisational and legislative wings as upheld by the Hon'ble Supreme Court in Sadiq Ali Vs. Election Commission of lndia & Others (AlR 1972 SC 187), and consistently applied by the Commission in all such cases in the past, would apply in the instant case in the facts and circumstances of the case.*
>
> *(ii) The respondent group led by Sh. Nitish Kumar has demonstrated overwhelming majority support in the legislature wing as well as the majority in the National Council of the Party which is the Apex level organisational Body of the Party.*
>
> *(iii) Accordingly, the group led by Sh. Nitish Kumar is hereby recognised as the Janata Dal (United) in terms of Paragraph-15 of the Symbols Order. Consequently, the group led by Sh. Nitish Kumar is entitled to use the reserved symbol 'Arrow' of the Party as a recognised State Party in Bihar."*

The above-said orders of the ECI have laid to rest the pending dispute over the leadership of the JD(U) and the group which constitutes the real party. Subsequently, the ECI has also passed a detailed Order in this regard on the 25th of November, 2017.

26. Before pronouncing my Order, I would like to mention that there has been widespread criticism of some Presiding Officers, who did not take a decision on the disqualification petitions, under the Tenth Schedule of the Constitution of India, within reasonable time. It has been noticed that the Hon'ble Supreme Court also expressed its concern about the unnecessary delay in deciding these petitions by the Presiding Officers of the Legislatures. In the case of *Speaker, Haryana Vidhan Sabha Vs Kuldeep Bishnoi & Ors. (AIR 2013 SC 120)*, the Speaker of the Assembly practically took about four years in deciding the petition of disqualification and single bench and a division bench of the Punjab & Haryana High Court and ultimately the Supreme Court *vide* its Order dated the 28th of September, 2012, had to give a direction to the Speaker to decide the petition within three months. In another case in the Uttar Pradesh Legislative Assembly, similar type of delay was caused by the Speaker in deciding the disqualification petition and ultimately the matter went to the Supreme Court *[Mayawati Vs Markandeya Chand & Ors (1998 7 SCC 517)]*. The Supreme Court instead of remanding the case to the Speaker, disqualified the MLAs itself. There have been many other cases also, where the Courts have expressed concern about the unnecessary delay in deciding such petitions. I am of the considered opinion that, such petitions which go to the root of the democratic functioning and which raise the question, whether a particular legislator (lawmaker) is entitled to sit in the Legislature or not, should not be kept pending and dragged on by the Presiding Officers, with a view to save the membership of the persons, who have otherwise incurred disqualification or even to save the Government, which enjoys majority only because of such type of persons. I am of the view that, all such petitions should be decided by the Presiding Officers within a period of around three months, of course, by giving an opportunity, as per law, to the concerned Members against whom there are allegations, which lead to their disqualification under the Tenth Schedule to the Constitution of India, so as to effectively thwart the evil of political defections, which if left uncurbed are likely to undermine the very foundations of our democracy and the principles which sustain it. The intention of the lawmakers to vest the adjudicatory power with respect to disqualification petitions with the Presiding Officers to ensure their fair and expeditious disposal is also clearly evident from the following statement of the then Law Minister, while piloting the Constitution (52nd Amendment) Bill, 1985 in the Lok Sabha, on the 30th of January, 1985:—

> *" If this Bill is to be effective, and if defection is to be outlawed effectively, then we must choose a forum which will decide the matter fearlessly and expeditiously. This is the only forum that is possible."*

The then Prime Minister had also made a similar observation, while participating in the debate on the Bill in the Rajya Sabha on the 31st of January, 1985:—

> *" What we have tried to do in this Bill is to make it as black and white as possible so that there are no grey areas where somebody has to take a decision. The decision should be automatic, backed by a sequence of events, which are on record, so that there is no debate about it. We also thought that the operation of the Bill should be quick so that there is no time for horse-trading to take place or any other problem to arise. That is why we left this to the Chairman or the Speaker."*

At this juncture, it would be worthwhile to mention that sub-rule (3) of Rule 7 of the Rules, *inter alia* lays down that a Member, in relation to whom the Petition has been made, shall, **within seven days of the receipt of copy of the petition,** or within such further period as the Chairman may for sufficient cause allow, forward his comments in writing thereon to the Chairman. The very fact that only seven days time has been allowed in the Rules to the Respondent to furnish his comments on a disqualification petition filed against him, is clearly indicative of the intent of the Rule for expeditious disposal of disqualification petition. In the present case, the petition was filed on the 2nd of September, 2017 and is being disposed of expeditiously *vide* my order of today, *i.e.,* the 4th of December, 2017.

27. After taking into account the facts of the case, the comments of the Respondent and the Petitioner, the Respondent's oral submission during the personal hearing on the 8th of November, 2017 and the observations of the Committee of Privileges of the Eighth Lok Sabha and Hon'ble Supreme Court's Judgement in the *1994 Ravi Naik Vs. Union of India* case and observations in similar anti-defection cases, it is crystal clear that by his conduct, actions and speeches, the Respondent, Shri Sharad Yadav, has voluntarily given up his membership of the political party, Janata Dal (United) by which he was set up as a candidate for election to the Rajya Sabha from the State of Bihar in 2016 and elected as such Member.

28. I, therefore, hold that the Respondent, Shri Sharad Yadav has incurred disqualification for being a Member of the House in terms of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India. He has thus ceased to be a Member of the Rajya Sabha with immediate effect. I decide and declare accordingly.

*Sd./-*

New Delhi, M. VENKAIAH NAIDU

December 4, 2017 *Chairman, Rajya Sabha"*

DESH DEEPAK VERMA, Secy.-General

**अधिसूचना**

नई दिल्ली 4 दिसम्बर, 2017

**सं.आरएस.46/2017-टी .**—भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6(1) के अधीन राज्य सभा के अन्य सदस्य श्री अली अनवर अंसारी के संबंध में राज्य सभा सदस्य, श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह की याचिका के मामले में राज्य सभा के सभापति द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 को दिए गए निम्नलिखित निर्णय को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

"आदेश

राज्य सभा सदस्य और राज्यसभा में जनता दल (यूनाइटेड) [जेडी(यू)] दल के नेता श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (जिन्हें इसके पश्चात् यहां 'याची' कहा गया है) ने 2 सितम्बर, 2017 को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के साथ पठित अनुच्छेद 102(2) और राज्य सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 (जिन्हें इसके पश्चात् यहां 'नियमों' कहा गया है) के नियम 6 के अधीन एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि राज्य सभा सदस्य श्री अली अनवर अंसारी (जिन्हें इसके पश्चात् यहां 'प्रतिवादी' कहा गया है) को संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हित किया जाए और राज्यसभा में उनकी सीट रिक्त घोषित की जाए। याची ने अपनी याचिका में दावे के साथ कहा है कि प्रतिवादी श्री अली अनवर अंसारी ने, जो बिहार राज्य से भारतीय जनता (भाजपा) पार्टी के समर्थन से जनता दल (यूनाइटेड) के टिकट पर वर्ष 2006- 2012 की अवधि के लिए और पुन: 3 अप्रैल 2012 को वर्ष 2012- 2018 की अवधि के लिए राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, बार-बार अपने आचरण से, जेडी(यू) दल और इसके नेतृत्व के विरुद्ध सार्वजनिक/प्रेस वक्तव्यों और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नामक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के साथ खुलेआम तालमेल कर अपनी राजनीतिक गतिविधियों से यह सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने स्वेच्छा से जेडी(यू) दल की सदस्यता छोड़ दी है और इस प्रकार वह संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं। याची का मुख्य प्रतिवाद यह था कि जेडी(यू) दल और इसके अध्यक्ष, श्री नीतीश कुमार द्वारा 26 जुलाई, 2017 को महागठबंधन और बिहार में 2015 में गठित गठबंधन सरकार से बाहर आने के सर्वसम्मत निर्णय का पालन करने के स्थान पर प्रतिवादी ने एक अन्य असंतुष्ट सदस्य, श्री शरद यादव के साथ दल के निर्णय की सार्वजनिक निंदा कर दल-विरोधी गतिविधियां शुरू कर दीं। उन्होंने आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पटना में प्रचार किया और 27 अगस्त, 2017 को प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल नामत: आरजेडी द्वारा आहूत सार्वजनिक रैली में भाग लिया जबकि उन्हें यह जानकारी थी कि रैली में उनके भाग लेने को न केवल नैतिकता के उच्च मानदंडों के विपरीत माना जाएगा बल्कि यह भी समझा जाएगा कि वह स्वेच्छा से जेडी(यू) दल की सदस्यता छोड़ रहे हैं। याची ने आरोपों के सबूत के तौर पर समाचार पत्रों के अंश, मीडिया रिपोर्ट और वीडियो संलग्न किये हैं।

2. इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि याचिका नियमों के नियम 6 की अपेक्षाओं को पूरा करती है, मैंने 11 सितम्बर, 2017 को नियम 7 के उप-नियम (3) के संदर्भ में याचिका और उसके सभी संलग्नकों की एक प्रति प्रतिवादी को, जिसके संबंध में याचिका दायर की गई थी, इस अनुरोध के साथ भिजवाई कि वह उक्त की प्राप्ति के सात (7) दिन के भीतर उस पर अपनी लिखित टिप्पणी प्रस्तुत करें। इसके उत्तर में, प्रतिवादी ने दिनांक 15 सितम्बर, 2017 और 18 सितम्बर, 2017 के पत्रों के द्वारा याचिका पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए एक माह का समय बढ़ाने की मांग की। तथापि, मैंने न्याय का पक्ष लेते हुए उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए 25 सितम्बर, 2017 तक का समय दिया और उन्हें इसकी सूचना सचिवालय के 18 सितम्बर, 2017 के पत्र द्वारा दे दी गई।

3. प्रतिवादी ने 22 सितम्बर, 2017 को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं, जिनमें उन्होंने याचिका में किए गए सभी प्रकथनों, दिए गए तर्कों और उठाए गए प्रतिवादों से इंकार किया और नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन न किए जाने के आधार पर उन्हीं नियमों के नियम 7 के उप-नियम (2) के अधीन याचिका खारिज करने की मांग की। प्रतिवादी ने कहा कि वह दल के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जनता दल (यूनाइटेड) के सदस्य हैं और दल को छोड़ने या किसी अन्य दल में शामिल होने या कोई नया दल बनाने का उनका कोई इरादा नहीं है, स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने प्रतिवाद किया कि 'दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने' के प्रश्न का विनिश्चय तभी हो सकता है, जब इस प्रश्न का निर्णय हो जाए कि 'वास्तविक दल' कौन सा है और चूंकि यह प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के समक्ष लंबित है, अत: भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने के बाद ही उक्त याचिका पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने प्रत्यारोप लगाया कि वास्तव में श्री नीतीश कुमार और उनके गुट ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध साझा मोर्चे के रूप में गठित महागठबंधन को छोड़कर और भाजपा से गठबंधन कर तथा बिहार की जनता द्वारा उनमें व्यक्त किए गए विश्वास और उसके जनादेश से जबरदस्त विश्वासघात कर जेडी(यू) दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि श्री नीतीश कुमार ने दल के संविधान का उल्लंघन करते हुए विशुद्ध राजनीतिक और अवसरवादी कारणों से वास्तविक जेडी(यू) का विभाजन कर दिया है। उनका मुख्य प्रतिवाद यह था कि दल के नेताओं द्वारा दल के संविधान का उल्लंघन करते हुए लिए गए निर्णयों की आलोचना करने को स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ना नहीं माना जा सकता'। प्रतिवादी ने मांग की कि इस प्रकथन, कि याची इस याचिका को दायर करने के

लिए सक्षम और यथोचित रूप से प्राधिकृत है, को कड़ाई से सिद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि याची को जेडी (यू) के राज्य सभा के संसदीय दल के नेता के पद पर, दल के मानदंडों का पालन किए बिना और श्री शरद यादव को उक्त पद से अवैध, मनमाने और गलत ढंग से हटाने के बाद नियुक्त किया गया। उन्होंने याची द्वारा साक्ष्य के तौर पर समाचारपत्रों के लेखों/मीडिया क्लिपिंग के प्रयोग पर सवाल उठाया और कहा कि किन्हीं प्रामाणिक साक्ष्यों के अभाव में इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने जेडी(यू) दल के अध्यक्ष, श्री नीतीश कुमार के विरुद्ध अपने आरोपों के समर्थन में समाचारपत्रों के अंश और वीडियो के रूप में मीडिया रिपोर्ट भी संलग्न किए हैं।

4. दसवीं अनुसूची के अधीन राज्य सभा में निरर्हता के पूर्व मामलों के अभिलेखों का अवलोकन करने पर मैंने पाया कि विशेषाधिकार संबंधी समिति की प्रक्रियागत अपेक्षाएं ऐसी होती हैं कि प्राथमिक जांच और अंतिम प्रतिवेदन तैयार और प्रस्तुत करने में लंबा समय लगता है, जिससे अंततः निरर्हता संबंधी कार्यवाही और अंतिम प्रश्न के निर्धारण में विलंब होता है, जोकि दसवीं अनुसूची की प्रकृति और उद्देश्यों के ही विपरीत है। दल-बदल के परिणामों का सामना किए बगैर किसी सदस्य की सदस्यता बनाए रखने की अनुमति देकर ऐसा करना दल-परिवर्तन विरोधी कानून की मूल भावना अर्थात् दल-बदल की समस्या पर नियंत्रण, को ही समाप्त करने जैसा है। उच्चतम न्यायालय ने जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य [(2006) 11 एससीसी 1] के मामले में दिनांक 11 दिसम्बर, 2006 के अपने आदेश में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

> "दल-परिवर्तन करने के बावजूद किसी सदस्य को सिर्फ तकनीकी आधारों के ऐसे दल-बदल के परिणामों का सामना न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

इसके अतिरिक्त नियमों के नियम 7 का उप नियम (4) इस प्रकार है:-

> "याचिका के संबंध में, अनुज्ञात अवधि के भीतर, उपनियम (3) के अधीन प्राप्त (चाहे मूलतः या उक्त उपनियम के अधीन विस्तारित) टिप्पणी पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् सभापति उस प्रश्न का अवधारण करने की कार्यवाही करेगा या, यदि उसका उस मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह याचिका की प्रारंभिक जांच करने और उन्हें रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति को निर्देशित करेगा।"

इसके अवलोकन से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि प्रत्येक मामले को विशेषाधिकार समिति के पास नियमित रूप से नहीं भेजा जा सकता। मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के आधार पर, अध्यक्ष ने याचिका को समिति को प्राथमिक जांच के लिए भेज भी सकता है और नहीं भी। जब मामले के तथ्य स्पष्ट हों तो सभापति अपने विवेक के अनुसार इस मामले में स्वयं आगे कार्यवाही करने का निर्णय ले सकता है। नियम-7 के उप-नियम (4) में 'प्राथमिक जांच' शब्द के उपयोग की ओर भी ध्यान दिलाया जाता है जिसका अर्थ है कि समिति द्वारा प्राथमिक जांच के बाद भी, सभापति को ही अंतिम रूप से तथ्यों का विश्लेषण करके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर मैंने प्रतिवादी की निरर्हता संबंधी प्रश्न के अवधारण के लिए स्वयं आगे कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इसलिए, न्याय के पक्ष में मैंने 7 अक्तूबर, 2017 को निर्देश दिया कि प्रतिवादी की टिप्पणियां याची को उनकी प्राप्ति के सात (7) दिनों के भीतर उन पर अपनी टिप्पणियां करने के लिए भेज दी जाएं।

5. याची ने 13 अक्तूबर, 2017 को अपनी टिप्पणियों में याचिका में पहले से उल्लिखित तथ्यों को फिर से दोहराया और निवेदन किया कि प्रतिवादी की टिप्पणियों का स्वरूप सैद्धान्तिक भाषण की तरह है और वह याचिका में किए गए विशिष्ट प्रकथनों का उत्तर देने और याचिका में लगाए गए आरोपों का स्पष्टतः खंडन करने में विफल रहे हैं। उन्होंने प्रतिवादी के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि दल के आंतरिक कामकाज के संबंध में कोई विवाद भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के समक्ष लंबित है, उन्होंने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया और कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने उनकी याचिका का संज्ञान लेने या याचिका पर विचार तक करने से मना कर दिया है। याची ने कहा कि दल के भीतर किसी विवाद की मौजूदगी, किसी निरर्हता याचिका के निर्धारण हेतु न तो सुसंगत है और न इससे संबंधित है। बल्कि, इसके लिए व्यक्ति के आचरण की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने प्रतिवाद किया कि समाचार पत्रों के लेख/मीडिया क्लिपिंग की विषय-सामग्री की सत्यता को असत्य साबित करने का उत्तरदायित्व प्रतिवादी पर है और प्रत्याख्यान या खंडन करने में विफल रहने का अर्थ स्वीकृति है। जहां तक महागठबंधन छोड़कर बिहार की जनता के विश्वास और जनादेश से विश्वासघात का प्रतिवादी का आरोप है, याची ने प्रतिवाद किया है कि श्री नीतीश कुमार को जेडी(यू) की विस्तृत राज्य कार्यकारी समिति की 11 जुलाई, 2017 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में 26 जुलाई, 2017 को महागठबंधन की सरकार को छोड़ना और बिहार के मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उक्त बैठक में विधायकों (विधान सभा, विधान परिषद), संसद सदस्यों (राज्य सभा और लोक सभा), सभी जिलाध्यक्षों और दल की विभिन्न इकाइयों/विंग/प्रकोष्ठों के सभी अध्यक्षों ने उनसे गठबंधन दल नामतः आरजेडी के कुछ नेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार, धन शोधन और बेनामी संपत्तियों के गंभीर मामले सर्वविदित होने और अन्वेषण एजेंसियों द्वारा उनके विरुद्ध छापा मारने जैसे गंभीर मुद्दों से समझौता न करने का आग्रह किया था और उनसे यथोचित आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। श्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन छोड़ने और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद-त्याग करने के निर्णय को विधायक दल ने 26 जुलाई, 2017 की अपनी बैठक में

और जेडी(यू) दल की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति व राष्ट्रीय परिषद ने 19 अगस्त, 2017 को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया था। श्री नीतीश कुमार ने भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सिद्धांतवादी रवैये की सराहना करते हुए दिए गए बिना शर्त समर्थन का प्रस्ताव स्वीकार किया और सरकार बनाई तथा 27 जुलाई, 2017 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने 28 जुलाई, 2017 को बिहार की विधान सभा में अपना बहुमत भी सिद्ध कर दिया। याची ने तर्क दिया है कि महागठबंधन, बिहार विधान सभा हेतु चुनाव लड़ने के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर तैयार महज एक राजनैतिक गठबंधन था और ऐसी कोई बाध्यता नहीं हो सकती थी कि गठबंधन के सहयोगी मूलभूत मतभेदों के बावजूद एक साथ रहें। उन्होंने राज्य सभा में जेडी (यू) दल के संसदीय दल के नेता के पद से श्री शरद यादव को अवैध रूप से हटाए जाने संबंधी आरोप को भी यह कहते हुए खारिज किया कि श्री यादव के आचरण के कारण उन्हें हटाया गया और यह निर्णय राज्य सभा में जेडी (यू) के सदस्यों के प्रचंड बहुमत से लिया गया। याची ने पुन: दोहराया कि प्रतिवादी द्वारा दल के एकमत से लिए गए निर्णय की अवहेलना और दल व इसके अध्यक्ष की उनके द्वारा सार्वजनिक आलोचना तथा आरजेडी नामक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के साथ खुलकर मेल-मिलाप करने को स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ना माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी राजनीतिक दल और विशेषकर सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध मजबूत और गहरी प्रतिबद्धता वाला जेडी (यू) दल अपने किसी भी सदस्य को एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ मेल-मिलाप करने की अनुमति नहीं दे सकता, जिसके नेता बेनामी संपत्ति और धनशोधन के गंभीर आरोपों सहित भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

6. नियम 7 के उप-नियम (7) के अनुसार, प्रतिवादी को अपना मामला प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत सुनवाई का समुचित अवसर देने के मद्देनजर मैंने याचिका के संबंध में प्रतिवादी के दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के उत्तरों पर याची की 13 अक्तूबर, 2017 की टिप्पणियों की प्रति के साथ प्रतिवादी को एक नोटिस भेजकर सूचना देने का निदेश दिया कि उन्हें 30 अक्तूबर, 2017 को प्रात: 10.00 बजे मेरे कक्ष अर्थात् कक्ष सं. 216, द्वितीय तल, ब्लॉक ए, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में मेरे समक्ष मौखिक सुनवाई का एक अवसर दिया गया है। उन्हें सचिवालय के दिनांक 18 अक्तूबर, 2017 के पत्र द्वारा यह सूचना दी गई।

7. प्रतिवादी ने दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 के पत्र द्वारा गुजरात और हिमाचल प्रदेश के राज्यों की विधान सभाओं के आगामी चुनावों से संबंधित बैठकों/व्यस्तताओं का कारण बताते हुए मौखिक साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के लिए आठ सप्ताह का समय बढ़ाये जाने का अनुरोध किया था। जेडी (यू) दल की दिनांक 8 अक्तूबर, 2017 की राष्ट्रीय परिषद के संकल्प के पैरा 24 और 27 का संदर्भ देते हुए, उन्होंने उक्त संकल्प के अनुसरण में जेडी (यू) दल की ओर से तत्काल कार्यवाही प्रारंभ करने के याची के प्राधिकार पर भी प्रश्न उठाया। तथापि, उनके अनुरोध पर विचार करने के पश्चात्, मैंने उनके लिए एक सप्ताह का समय बढ़ा दिया और उन्हें अपने कक्ष अर्थात, कक्ष सं. 216, द्वितीय तल, ब्लॉक ए, संसदीय सौध एक्सटेंशन भवन, नई दिल्ली में 8 नवम्बर, 2017 को म.पू. 10.30 बजे अपना मामला प्रस्तुत करने हेतु मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निदेश दिया तथा साथ ही यह भी सूचित किया कि इस मामले में उन्हें और अधिक समय विस्तार प्रदान नहीं किया जायेगा। उन्हें यह सूचना सचिवालय के दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 के पत्र द्वारा प्रेषित की गई।

8. प्रतिवादी मौखिक सुनवाई के लिए 8 नवम्बर, 2017 को प्रात: 10.30 बजे मेरे समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने याचिका के संबंध में अपनी टिप्पणियों में पहले से ही प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि उन्हें जेडी (यू) दल के अध्यक्ष/किसी पदाधिकारी/किसी अन्य सदस्य की ओर से विपक्षी दलों की बैठकों/रैली में भाग न लेने का कोई लिखित निर्देश या एसएमएस या मौखिक निर्देश प्राप्त नहीं हुआ और न ही दल की ओर से उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सभा में जेडी (यू) संसदीय दल के नेता श्री शरद यादव उस समय अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर थे, मुझे विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया था, जिसका उन्होंने पालन किया और इसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। तत्पश्चात्, उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष, श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा आहूत रैली में भी भाग लिया, जिसमें सभी विपक्षी दलों के नेता उपस्थित थे। उन्होंने प्रतिवाद किया कि स्वयं श्री नीतीश कुमार ने कहा था कि यदि उन्हें आमंत्रित किया जाएगा तो वे भी रैली में भाग लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देने और महागठबंधन छोड़ने का श्री नीतीश कुमार का निर्णय किसी पार्टी मंच में नहीं उठाया गया और इसलिए, वास्तविकता यह है कि उन्होंने और उनके समर्थकों ने दल छोड़ा है। प्रतिवादी ने आगे प्रतिवाद किया कि उन्होंने सभा में, जो मेरी अधिकारिता के अधीन है, किसी दल-विरोधी गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया। मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने उत्तर में पहले ही इन सभी तथ्यों का विस्तार से उल्लेख कर दिया है और कि मैं अंतिम निर्णय लेने से पहले इनकी सावधानीपूर्वक जांच करुंगा। मैंने उन्हें यह भी सूचित किया कि राज्य सभा के सभापति के रूप में, मेरा उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना है कि क्या उन्होंने किसी अन्य दल की रैली में भाग लेकर अपने दल के निर्णयों के विरुद्ध कार्य किया और बार-बार अपने दल की निंदा की और क्या इन कृत्यों से उन्होंने यह सिद्ध किया कि वह जेडी (यू) दल में बने रहने के इच्छुक नहीं है, जैसा कि याचिका में आरोप लगाया है और उनसे पूछा कि क्या वह जो कुछ कह चुके हैं, उसके अतिरिक्त उन्हें कुछ और कहना है। तथापि, प्रतिवादी ने अपने बचाव में कोई अन्य सारवान तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।

9. संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) के अनुसार, कोई सदस्य निम्नलिखित परिस्थितियो में निरर्हित किया जा सकता है:-

(क) यदि वह जिस राजनीतिक दल का सदस्य है, उसकी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है/छोड़ देती है; या

(ख) जब वह ऐसे राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य है, द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विरुद्ध पूर्व अनुज्ञा के बिना सदन में मतदान करता है/करती है या मतदान करने से विरत रहता है/रहती है और ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है।

स्पष्ट है कि वर्तमान मामला दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के अधीन आता है। अब मैं इस उपबंध के अधीन मामले के गुण-दोषों की परीक्षा करूंगा।

10. अभिलेखों, अर्थात याचिका, याचिका के संबंध में प्रतिवादी के उत्तरों, प्रतिवादी के उक्त उत्तरों पर इस संबंध में सभी संलग्नकों सहित याची की टिप्पणियों, मौखिक सुनवाई के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का अवलोकन करने पर, मैंने पाया कि प्रतिवादी याची द्वारा उन पर दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों को सुस्पष्ट रूप से मना अथवा खण्डन करने के स्थान पर यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि श्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ मिलने के निर्णय के कारण जनता दल (यूनाइटेड) का दो गुटों में विभाजन हुआ-एक श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाला गुट और दूसरा उनका तथा श्री शरद यादव और उनके समर्थकों का गुट और इस दूसरे गुट को भी जनता दल (यूनाइटेड) के भीतर बहुमत प्राप्त था और इस संबंध में विवाद भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष लम्बित था। उनके द्वारा दिया गया मुख्य तर्क यह था कि उन्होंने नहीं अपितु श्री नीतीश कुमार और उनके गुट ने जेडी(यू) दल के संविधान में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों का उल्लंघन करके और जिन सिद्धान्तों पर दल की नींव रखी गई थी, उनके विरुद्ध कार्य करते हुए स्वेच्छा से जनता दल (यूनाइटेड) की सदस्यता छोड़ दी थी और इस तरह से दसवीं अनुसूची के तहत निरर्हता के अध्यधीन हो गए थे। तथापि, वह इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त संविधान की दसवीं अनुसूची का पैरा 1 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम 'विधान दल' और 'मूल राजनीतिक दल' को निम्नानुसार परिभाषित करते हैं:-

"व्याख्या 1. xxxx

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जो, पैरा 2 या [xxx] पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, "विधान-दल" से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं;

(ग) सदन के किसी सदस्य के संबंध में, "मूल राजनीतिक दल" से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है;"

यह राजनीतिक दलों द्वारा किए गए किसी राजनीतिक गठबंधन का संज्ञान नहीं लेता है। महागठबंधन बिहार में विधान सभा चुनाव लड़ने के प्रयोजनार्थ कुछ राजनीतिक दलों द्वारा बनाया गया राजनीतिक गठबंधन है और जनता दल (यूनाइटेड) इसका एक घटक था। इस प्रकार, राजनीतिक दलों द्वारा किसी राजनीतिक गठबंधन को छोड़ देना या उसमें शामिल होना दल परिवर्तन-रोधी कानून के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

11. प्रतिवादी का बार-बार यह दोहराना, कि जेडी(यू) से संबंधित विवाद का मामला भारत निर्वाचन आयोग में लंबित है, निरर्हता संबंधी याचिका पर निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि यह पूर्णत: दल का आंतरिक मामला है और दसवीं अनुसूची के अधिकार-क्षेत्र से बाहर है, और इसलिए, मेरे अधिकार-क्षेत्र से बाहर है। वैसे भी, याचिकाकर्ता द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग ने प्रतिवादी द्वारा समर्थित गुट के दावे को यह कहकर दो बार खारिज कर दिया है कि उनके दावे के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण नहीं हैं। प्रतिवादी ने वर्तमान याचिका दायर करने के संबंध में याचिकाकर्ता की सक्षमता और प्राधिकार पर तथा दल के मानकों का अनुसरण किए बिना कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से श्री शरद यादव को राज्य सभा में जेडी(यू) संसदीय दल के नेता के पद से हटाने पर प्रश्न उठाया है। इस संदर्भ में, मुझे उस सूक्ति का अनुसरण करना पड़ेगा कि किसी भी लोकतंत्र में बहुमत के निर्णय और बहुमत की आवाज को ही स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए, यदि किसी संसदीय दल/गुट के नेतृत्व के संबंध में कोई विवाद खड़ा होता है, तो मुझे प्रत्येक पक्ष द्वारा अपने-अपने दावे के संबंध में मेरे समक्ष प्रस्तुत तथ्य और साक्ष्य के आधार पर जांच और निर्णय करना होगा। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य के साथ यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उनके गुट को राज्य सभा में जेडी(यू) संसदीय दल में बहुमत का समर्थन हासिल है। इसके विपरीत, श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह को 11 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली में हुई जेडी(यू) संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य सभा में जेडी(यू) संसदीय दल के नेता के पद पर चुन लिया गया था, और लोक सभा सदस्य व संसद में जेडी(यू) के नेता श्री कौशलेन्द्र कुमार ने राज्य सभा सचिवालय को इसकी सूचना दी थी। राज्य सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया और राज्य सभा के अभिलेखों को तदनुसार अद्यतन किया गया। प्रतिवादी का यह दावा भी तर्कसंगत नहीं है कि याचिकाकर्ता याचिका दायर

करने की अधिस्थिति में नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह राज्य सभा के एक सदस्य हैं और नियमों के अनुसार, राज्य सभा का कोई भी सदस्य किसी अन्य सदस्य की निरर्हता की मांग करने वाली याचिका दायर कर सकता है।

12. प्रतिवादी द्वारा श्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन छोड़ने के निर्णय और भाजपा के साथ मिलने की सार्वजनिक रूप से निन्दा करना और जेडी(यू) के विरोधी दल, अर्थात राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों और नीतियों के समर्थन करने, उनके साथ मंच साझा करना और उनकी बैठकों/रैली को संबोधित करना इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि कि उन्होंने दल-विरोधी गतिविधियों में भाग लिया है। उनके द्वारा सार्वजनिक मंचों पर श्री शरद यादव द्वारा दिए गए भाषणों का निरंतर समर्थन करना और जेडी(यू) के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार के विरुद्ध भारत के निर्वाचन आयोग में दर्ज की गई शिकायत का समर्थन करना और जेडी(यू) के सदस्यों की बैठक में श्री नीतीश कुमार के निर्णयों को गैर-कानूनी, अवैध और अमान्य घोषित करने के लिए प्रस्तुत और पारित किए गए संकल्प के समर्थन, जिन्हें न तो उन्होंने अस्वीकार किया है और न ही उनका खंडन किया है, के द्वारा दल-विरोधी गतिविधियों में भाग लेना भी स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है वह अब उस दल की नीतियों और निर्णयों का समर्थन नहीं करते हैं, जिस दल के टिकट पर वह चुने गए थे। मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों से भी ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी आपत्तियों को अपने दल के मंच पर उठाने, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त अवसर मौजूद थे, अर्थात, 11 जुलाई, 2017 को जेडी(यू) की विस्तारित राज्य कार्यकारिणी की बैठक, और 19 अगस्त, 2017 को जेडी(यू) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक, के बजाय वह मीडिया में और विरोधी राजनीतिक दल की बैठकों/रैली सहित सार्वजनिक मंचों पर अपने दल की नीतियों और दल के अध्यक्ष के निर्णयों की आलोचना करते रहे। प्रतिवादी का दावा था कि दल के संविधान का उल्लंघन करते हुए दल के नेताओं के निर्णय की आलोचना करने का अर्थ स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ना नहीं है। यहां, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि एक राजनीतिक दल, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है, सामूहिक फैसले के माध्यम से काम करता है। हालांकि किसी व्यक्ति का दल के फैसले से कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन अंततः उसे दल के सामूहिक निर्णय का पालन करना होता है। उसे कोई निर्णय लिए जाने से पहले दल की बैठकों और मंचों में और उसके बाद भी अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। लेकिन निर्णय लेने के बाद अगर किसी भी राजनीतिक दल का कोई सदस्य सार्वजनिक रूप से अपने दल के निर्णयों की आलोचना शुरू कर देता है, और यहां तक कि प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों की रैलियों में भाग लेना और उन्हें संबोधित करने लगता है, तो यह दल-विरोधी गतिविधि के तहत आ जाएगा और यदि संबंधित व्यक्ति राज्य विधानसभा या संसद का सदस्य है, तो इसे स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ना माना जाएगा, और इस प्रकार यह दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्हता माना जाएगा। मेरे विचार से, कोई सदस्य दल की नीतियों और घोषणापत्रों के कारण किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में चुना जाता है और यदि वह सदस्य अपने दल की सार्वजनिक रूप से आलोचना करता है, तो यह माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता को छोड़ दिया है।

13. दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) में उल्लेख किया गया है कि 'सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है।' उच्चतम न्यायालय ने रवि नाइक बनाम भारत संघ [1994 एआईआर 1558, 1994 एससीआर (1) 754, 1994 एससीसी अनु. (2) 641, जेटी 1994 (1) 551, 1994 स्केल (1) 487] मामले में 9 फरवरी, 1994 के अपने निर्णय में 'सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है' को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया है, जिसमें न्यायालय ने अन्य के साथ-साथ यह समुक्ति की है:-

> " 'सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है' शब्द 'त्यागपत्र' का पर्याय नहीं हैं और इसके व्यापक अर्थ हैं। एक व्यक्ति स्वेच्छा से एक राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता को छोड़ सकता है, हालांकि उसने उस पार्टी की सदस्यता से अपना त्यागपत्र नहीं दिया है। यहां तक कि सदस्यता से औपचारिक त्यागपत्र की अनुपस्थिति में किसी सदस्य के आचरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि उन्होंने स्वयं उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है, जिससे वह संबंधित हैं।"

उसी मामले में, उच्चतम न्यायालय ने गोवा विधान सभा अध्यक्ष के दो विधायकों को, जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, उनके केवल इस आचरण पर कि वे गोवा में कांग्रेस (आई) संसदीय दल के नेता द्वारा राज्यपाल से मिलकर यह दर्शाने के लिए कि उनके पास बीस विधायकों का समर्थन है, उनके साथ गए थे, निरर्ह करने के निर्णय को बरकरार रखा था।

14. उच्चतम न्यायालय ने जी. विश्वनाथन बनाम माननीय अध्यक्ष, तमिलनाडु विधानसभा, मद्रास एवं अन्य [1996 एआईआर 1060, 1996 एससीसी (2) 353, जेटी 1996 (1) 607, 1996 स्केल (1) 531] मामले में 24 जनवरी, 1996 के अपने आदेश में अन्य के साथ-साथ यह समुक्ति की है:-

> " राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने का कृत्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है।"

15. रवि नाइक मामले में उच्चतम न्यायालय की उक्त समुक्तियों से पूर्व विशेषाधिकार समिति (आठवीं लोक सभा) ने भी 'सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है' के अर्थ पर विचार किया था और निम्नलिखित समुक्ति की थी:-

"समिति ने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी सदस्य द्वारा किसी राजनैतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ देना किस कृत्य को माना जाएगा। समिति ने नोट किया है कि दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 (1) (क) में उपयोग किए गए शब्द 'यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है' हैं न कि 'यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है'। समिति का मानना है कि 'स्वेच्छा से छोड़ दी है' शब्दों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है ...... इस बात पर बल देना कि स्वेच्छा से सक्षम प्राधिकारी को त्यागपत्र सौंपने को ही निरर्हता माना जाएगा वास्तव में संवैधानिक उपबंध की एक संकीर्ण व्याख्या होगी और इससे वस्तुत: वह उद्देश्य ही निरर्थक हो जाएगा जिस पर संसद ने संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम लागू करते समय विचार किया था और ऐसी व्याख्या दसवीं अनुसूची के उपबंधों को निरर्थक बना देगी।

समिति का विश्वास है कि ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए ही 'स्वेच्छा से छोड़ दी है' शब्द पैरा 2 (1) (क) में उपयोग किए गए थे। चूंकि कानून सटीक तरीके से यह परिभाषित नहीं करता है जिसमें सदस्यता को छोड़ दिया जाना है, शब्दों की उस भावना के अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए, जिस भावना से वे अधिनियम में उपयोग किए गए हैं। कानून बनाने वालों का इरादा काफी स्पष्ट है: केवल अपने त्यागपत्र के द्वारा ही नहीं बल्कि अपने आचरण से भी कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ सकता है। समिति का मानना है कि यदि कोई सदस्य अपने आचरण से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि वह दल के अनुशासन से बंधा नहीं है और यहां तक कि अपने आचरण से इसे समाप्त करने के लिए तैयार है, तो उसे अपनी सीट खोने की कीमत चुकाने और पुन: चुने जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।"

16. डा. महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद एवं अन्य [(2004) 8 एससीसी 747] मामले में 27 अक्तूबर, 2004 के अपने एक अन्य निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने समुक्ति की :-

"इसलिए, सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार सदन के सभापति या अध्यक्ष में निहित है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दसवीं अनुसूची सदन के सभापति या अध्यक्ष को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती है। उनकी भूमिका केवल संबंधित तथ्यों की जांच करने तक सीमित है। एक बार एकत्रित या प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाए कि सदन के किसी सदस्य ने ऐसा कोई कार्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 उप-पैरा (1), (2) या (3) के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ऐसी स्थिति में निरर्हता लागू होगी और सदन के सभापति या अध्यक्ष को उस पर निर्णय लेना होगा।"

17. दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) के उल्लंघन के आरोप से संबंधित याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस तरह की आधिकारिक घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए, पदनामित प्राधिकारी के रूप में सभापति की भूमिका केवल तथ्यों की जांच करने और एक बार तथ्यों के एकत्रित होने या प्रस्तुत होने पर दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2(1)(क) के अर्थ के भीतर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कृत्य दिखाई देने की स्थिति में उस मामले में निर्णय लेने तक सीमित है। दसवीं अनुसूची के ऊपर उद्धृत पैरा के अधीन पीठासीन अधिकारी को जितनी सीमित भूमिका अदा करनी होती है, वह डा. महाचंद्र प्रसाद सिंह बनाम अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद और अन्य [(2004) 8 एससीसी 747], में उच्चतम न्यायालय ने पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया था, उन्होंने निम्नानुसार समुक्ति की थी:-

"इस तथ्य पर ध्यान दिया जाए कि दसवीं अनुसूची के पैरा 2 में सुविचारित विभिन्न आकस्मिकताओं के लिए की जाने वाली जांच के स्वरूप और दर्जे में अंतर हो सकता है। जहाँ तक पैरा 2(1) के खंड (क) का संबंध है, जाँच सीमित रहेगी अर्थात्, क्या किसी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले सभा के किसी सदस्य ने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है।"

इस प्रकार, अब यह मुझे तय करना है कि क्या प्रतिवादी ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल अर्थात्, जेडी (यू) की सदस्यता त्यागी है। मेरे समक्ष प्रस्तुत तथ्यों/साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी के कृत्यों और बयानों से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी जेडी(यू) की सदस्यता छोड़ दी है, जिनके टिकट पर वह राज्यसभा के लिए चुने गए थे।

18. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा दल-विरोधी गतिविधियों और स्वेच्छा से जेडी (यू) की सदस्यता छोड़ने के साक्ष्य के रूप में मुख्य रूप से अख़बारों की कतरनों और विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित वीडियो रिकॉर्डिंग को आधार बनाया है। प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता द्वारा अख़बार की कतरनों और वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप् में उपयोग करने का यह कह कर विरोध किया है कि किसी भी स्पष्ट प्रमाण के अभाव में साक्ष्य के रूप में अखबारों के लेखों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मेरे विचार में, केवल अखबार की रिपोर्टों को ठोस साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है, और केवल विश्वसनीय परिस्थिति साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है, जब तक अन्यथा साबित न हो। सामंत एन. बालाकृष्णा आदि बनाम जॉर्ज फर्नांडिस एवं अन्य आदि [1969 एआई आर 1201, 1969 एससीआर (3) 603, 1969 एससीसी (3) 238] मामले में उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित समुक्ति की है:-

"ऐसे किसी समाचार, जिसमें साक्षियों के माध्यम से आगे यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि वास्तव में क्या हुआ, का कोई महत्व नहीं है। अधिक से अधिक इसे ग्रहणीय गौण साक्ष्य माना जा सकता है। xxxx ऐसे समाचार स्वयं को प्रमाणित नहीं करते हैं, यद्यपि अन्य साक्ष्य के साथ इन पर विचार किया जा सकता है, यदि अन्य साक्ष्य सुस्पष्ट हों।"

तथापि, वर्तमान मामले में मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि इतने सारे समाचारपत्र और मीडिया चैनल किसी बात को गलत तरीके से प्रकाशित/प्रसारित क्यों करेंगे, और यदि ऐसा हुआ भी है, तो प्रतिवादी से कम-से-कम यह अपेक्षा थी कि वह इनका तत्काल खंडन करें और इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करे। इस मामले में अनेक प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय/राज्य समाचारपत्रों और मीडिया चैनलों ने वास्तव में प्रतिवादी द्वारा आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार करने और 27 अगस्त, 2017 को आरजेडी द्वारा आयोजित सार्वजनिक रैली को संबोधित करने और श्री नीतीश कुमार के निर्णय की आलोचना करने की खबर दिखाई थी। याची द्वारा प्रस्तुत वीडियो रिकॉर्डिंग्स तथा समाचार पत्रों की कतरनों/लेखों से मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रतिवादी ने अनेक अवसरों पर, विशेषकर विभिन्न मीडिया चैनलों को दी गई मीडिया बाइट/साक्षात्कारों में, श्री नीतीश कुमार के महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने के निर्णय की यह कहते हुए निंदा की थी कि उनकी अंतरात्मा उक्त निर्णय को समर्थन नहीं देगी और यह बात दृढ़ता से कही कि वह 27 अगस्त, 2017 को पटना में आर.जे.डी. द्वारा आयोजित रैली में शामिल होंगे। मैंने उन्हें महागठबंधन के समर्थन में और सार्वजनिक सभाओं में श्री नीतीश कुमार के निर्णय की आलोचना करते हुए भी सुना है। इस तरह वीडियो रिकॉर्डिंग में ऐसे पर्याप्त और अकाट्य प्रमाण हैं कि प्रतिवादी ने वास्तव में उक्त रैली में सम्मिलित होकर उसे संबोधित किया और अपने दल तथा उसके अध्यक्ष की खुलेआम आलोचना करते हुए बयान दिए। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने समाचारपत्रों की कतरनों/मीडिया रिपोर्टों में दिखाए जा रहे आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करने और उनका खंडन करने के स्थान पर स्वयं यह स्वीकार किया है कि उन्होंने विरोधी दल, अर्थात आरजेडी द्वारा आयोजित रैली में भाग लिया है और उसे संबोधित किया है। अत:, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वीडियो रिकार्डिंग्स के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसलिए भी, कि प्रतिवादी ने उनकी सत्यता पर सवाल नहीं उठाया है। इसलिए, मेरे लिए समाचारपत्रों की खबरों के अतिरिक्त वीडियो रिकार्डिंग्स के रूप में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि प्रतिवादी ने वास्तव में आरजेडी की रैली में भाग लिया है; महागठबंधन से अलग होने और भाजपा के समर्थन से सरकार बनाने के अपने स्वयं के दल के निर्णय की आलोचना की है; और प्रतिवादी की स्वयं की स्वीकारोक्ति कि उसने रैली में भाग लिया है, जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी ने दल-विरोधी गतिविधियों में भाग लिया है, और इस प्रकार भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के उपबंध उस पर लागू होते हैं।

19. संयोगवश, मेरी जानकारी में यह आया है कि प्रतिवादी के प्राथमिक तर्क, कि श्री छोटूभाई अमरसंग वसावा, कार्यवाहक अध्यक्ष के नेतृत्व वाला गुट, जिसमें वह और उनके समर्थक शामिल हैं, वास्तविक जेडी (यू) है को भारत के निर्वाचन आयोग के दिनांक 17 नवंबर, 2017 के आदेश द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। उस आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है :-

i. दोनों समूहों द्वारा अपने-अपने दावों के समर्थन में लिखित और मौखिक, दोनों रूप में प्रस्तुत किए गए निवेदनों और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात आयोग मानता है कि संगठनात्मक और विधायी स्कंधों में बहुमत के समर्थन के परीक्षण का सिद्धांत, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने सादिक अली बनाम भारत चुनाव आयोग एवं अन्य (एआईआर 1972 एससी 187) में सही ठहराया है, और जिसे अतीत में ऐसे सभी मामलों में आयोग द्वारा लगातार लागू किया गया है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामले में लागू होगा।

ii. श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाले प्रतिवादी गुट ने विधायी स्कंध में प्रचंड बहुमत और दल की राष्ट्रीय परिषद, जो कि दल का सर्वोच्च संगठनात्मक निकाय है, में बहुमत प्रदर्शित किया है।

iii. तदनुसार, श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाले गुट को चिन्ह आदेश के पैरा-15 के उपबंधों के अनुसार जनता दल (यूनाइटेड) के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप, श्री नीतीश कुमार बिहार के एक मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय दल के रूप में दल के लिए आरक्षित 'तीर' चिन्ह का उपयोग करने के पात्र हैं।

भारत के निर्वाचन आयोग के उक्त आदेशों ने जेडी(यू) के नेतृत्व और कौन सा गुट वास्तविक दल है, के संबंध में लंबित विवाद को विराम दे दिया है। इसके पश्चात भारत के निर्वाचन आयोग ने 25 नवम्बर, 2017 को इस संबंध में विस्तृत आदेश भी पारित किया है

20. अपने आदेश की घोषणा से पहले, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कुछ पीठासीन अधिकारियों की, जिन्होंने भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता संबंधी याचिका पर तर्कसंगत समय के भीतर निर्णय नहीं लिए, काफी आलोचना होती रही है। यह देखा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा इन याचिकाओं संबंधी निर्णय लेने में

अनावश्यक देरी के बारे में चिंता जताई है। अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा बनाम कुलदीप बिश्नोई और अन्य (एआईआर 2013 एससी 120) मामले में, विधान सभा के अध्यक्ष ने निरर्हता की याचिका पर निर्णय लेने में व्यवहारिक तौर पर, लगभग चार वर्षों का समय लिया और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल पीठ और एक खण्डपीठ और अंततः उच्चतम न्यायालय को विधानसभा अध्यक्ष को इस याचिका पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निदेश देना पड़ा। उत्तर प्रदेश विधान सभा के दूसरे मामले में निरर्हता संबंधी याचिका पर निर्णय लेने में अध्यक्ष द्वारा इसी प्रकार की देरी की गई थी और अंततः मामला उच्चतम न्यायालय के पास गया [मायावती बनाम मार्कण्डेय चंद और अन्य (1998 7 एससीसी 517)]। उच्चतम न्यायालय ने विधान सभा अध्यक्ष को मामला लौटाए जाने के बजाय विधायक को स्वयं निरर्ह करार दे दिया। ऐसे अनेक अन्य मामले भी है, जिनमें न्यायालयों ने ऐसी याचिकाओं पर निर्णय लेने में अनावश्यक देरी के बारे में चिंता जताई है। मेरा यह सुविचारित मत है कि ऐसी याचिकाएं जो लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के मूल सिद्धांतों से जुड़ी होती हैं और जिनमें यह प्रश्न अंतर्ग्रस्त होता है कि क्या कोई विधायक विशेष (विधि-निर्माता) विधान सभा में बैठने का हकदार है अथवा नहीं, को पीठासीन अधिकारियों द्वारा इसलिए लंबित और लटकाये नहीं रखा जाना चाहिए ताकि उस व्यक्ति की सदस्यता जिसे अन्यथा निरर्ह घोषित किया गया हो, को बचाया जा सके या सरकार को बचाया जा सके जो इस प्रकार के व्यक्तियों के कारण बहुमत में बनी रहती है। मेरा यह विचार है कि ऐसी सभी याचिकाओं पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा संबंधित सदस्यों जिनके विरूद्ध ऐसे आरोप हों, जिससे भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन वे निरर्ह हो जाएंगे, को निःसंदेह विधि के अनुसार अवसर देकर लगभग तीन महीनों के भीतर निर्णय दिया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक दल-बदल की बुराई को प्रभावी ढंग से निष्फल किया जा सके, जिसे यदि अनियंत्रित रखा गया तो उससे हमारे लोकतंत्र का मूल आधार और वे सिद्धांत जो इसे अक्षुण्ण बनाए हुए हैं, खोखले हो जाएंगे। पीठासीन अधिकारियों के पास निरर्हता संबंधी याचिकाओं के संबंध में न्याय-निर्णयन की शक्ति निहित किए जाने के पीछे विधि-निर्माताओं की मंशा उनके उचित और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने की थी जो कि दिनांक 30 जनवरी, 1985 को लोक सभा में संविधान (52वां संशोधन) विधेयक, 1985 को प्रस्तुत करते समय तत्कालीन विधि मंत्री के निम्नलिखित वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है :--

> "यदि इस विधेयक को प्रभावी बनाना है और यदि दल-बदल को कारगर ढंग से नियम-विरूद्ध घोषित करना है तो हमें एक मंच का चयन करना होगा जो इस मामले पर निर्भीकता और शीघ्रता से निर्णय लेगा। यह एकमात्र ऐसा संभव मंच है।"

तत्कालीन प्रधान मंत्री ने भी, दिनांक 31 जनवरी, 1985 को राज्य सभा में इस विधेयक के संबंध में हुई चर्चा में भाग लेते हुए इसी प्रकार की समुक्ति की थी:--

> "हमने इस विधेयक में इसे यथासंभव लिखित में बनाने का प्रयास किया है ताकि किसी के द्वारा निर्णय लेने के समय कोई बात अस्पष्ट न रह जाए। यह निर्णय स्वचालित, अभिलेखबद्ध घटनाओं के क्रम द्वारा समर्थित, होने चाहिएं ताकि उसके बारे में वाद-विवाद की कोई संभावना न हो। हमने यह भी सोचा है कि विधेयक का प्रचालन भी त्वरित हो ताकि सांसदों की खरीद-फरोख्त करने या अन्य किसी समस्या के उत्पन्न होने के लिए कोई समय न मिल पाए। यही कारण है कि हमने इसका निर्णय किया जाना सभापति या लोकसभाध्यक्ष पर छोड़ दिया है।"

इस परिस्थिति में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि नियमों के नियम 7 के उप-नियम (3) में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित है कि कोई सदस्य जिसके संबंध में याचिका प्रस्तुत की गई है, याचिका की प्रति की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर या ऐसी आगामी अवधि जिसकी सभापति पर्याप्त कारण से अनुमति देते हैं, के भीतर उसके संबंध में सभापति को लिखित में अपनी टिप्पणियां भेजेगा। केवल यही तथ्य कि नियमों में प्रतिवादी को उसके विरुद्ध दायर निरर्हता संबंधी याचिका पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए केवल सात दिन का समय दिया गया है, निरर्हता संबंधी याचिका के शीघ्रता से निपटान के लिए नियम की मंशा की ओर स्पष्ट संकेत करता है। वर्तमान मामले में, याचिका 2 सितम्बर, 2017 को दाखिल की गई थी और मेरे आज के, अर्थात दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 के आदेश द्वारा इसका शीघ्रता से निपटान किया जा रहा है।

21. मामले के तथ्यों, प्रतिवादी और याचिकाकर्ता की टिप्पणियों, 8 नवंबर, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के मौखिक साक्ष्य और आठवीं लोक सभा की विशेषाधिकार समिति और रवि नाइक बनाम भारत संघ मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 1994 के निर्णय में की गई समुक्तियों और इसी तरह के दल-विरोधी मामलों में की गई समुक्तियों पर विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि अपने आचरण, कृत्यों और भाषणों से प्रतिवादी, श्री अली अनवर अंसारी ने स्वेच्छा से राजनीतिक दल, जनता दल (यूनाईटेड) की सदस्यता छोड़ दी है जिस दल की ओर से वह 2012 में बिहार राज्य से राज्यसभा के चुनाव के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे और ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे।

22. इसलिए, मेरा यह निर्णय है कि भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) के उपबंधों के अनुसरण में श्री अली अनवर अंसारी के एक सदस्य के रूप में निरर्हक हो गए हैं। इस प्रकार, वह तत्काल प्रभाव से राज्य सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। मैं तदनुसार यह निर्णय लेता हूं और इसकी घोषणा करता हूं।

नई दिल्ली एम.वेंकैया नायडु

4 दिसम्बर, 2017 सभापति, राज्य सभा

देश दीपक वर्मा, महासचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2017

**No.RS.46/2017-T.** — The following decision, dated the 4th of December, 2017, of the Chairman, Rajya Sabha, in the matter of petition of Shri Ram Chandra Prasad Singh, Member, Rajya Sabha, in relation to Shri Ali Anwar Ansari, another Member of the Rajya Sabha, given under paragraph 6(1) of the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:—–

**"ORDER**

Shri Ram Chandra Prasad Singh, Member and Leader of the Janata Dal (United) [JD(U)] in Rajya Sabha *(hereinafter called 'the Petitioner')*, filed a petition before me on the 2nd of September, 2017, under Article 102 (2) read with paragraph 6 of the Tenth Schedule to the Constitution of India and Rule 6 of the Members of the Rajya Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules, 1985 *(hereinafter called 'the Rules')* praying that Shri Ali Anwar Ansari, Member, Rajya Sabha *(hereinafter called 'the Respondent')*, be disqualified under the Tenth Schedule to the Constitution and his seat be declared vacant in the Rajya Sabha. In his petition, the Petitioner averred that the Respondent, Shri Ali Anwar Ansari, who was elected to the Rajya Sabha on the ticket of Janata Dal (United) from the State of Bihar, for the term 2006 to 2012, and again on the 3rd of April, 2012, for the term 2012 to 2018, with the support of the Bharatiya Janata Party (BJP), had by his repeated conduct, public/press statements against the JD(U) and its leadership and openly aligning with a rival political party, *namely*, the Rashtriya Janata Dal (RJD), proved that he has voluntarily given up the membership of the party, thus becoming subject to disqualification under the Tenth Schedule to the Constitution. The main contention of the Petitioner is that the Respondent instead of adhering to the unanimous decision taken on the 26th of July, 2017 by the JD(U) and its President, Shri Nitish Kumar to withdraw from the *Mahagathbandhan* and the coalition Government formed in Bihar in 2015, started anti-party activities along with Shri Sharad Yadav, another disgruntled Member, by publicly denouncing the party's decision. He campaigned with RJD leaders and workers and attended the public rally called by the rival political party, *i.e.,* RJD, in Patna on the 27th of August, 2017, despite being aware that his participation in the rally would be construed as not only against the principles of high morality but also as voluntarily giving up the membership of the JD(U). The Petitioner had annexed newspaper clippings, media reports and videos as proof of the allegations.

2. Having satisfied myself that the Petition complies with the requirements of Rule 6 of the Rules and in terms of sub-rule (3) of Rule 7, I, on the 11th of September, 2017, caused a copy of the Petition along with all Annexures thereto to be forwarded to the Respondent, in relation to whom the Petition had been made, with the request to furnish his comments thereon, in writing within seven (7) days of the receipt of the same. In response thereto, the Respondent, *vide* letters dated the 15th and 18th of September, 2017, sought extension of one month time for furnishing his comments on the Petition. In the interest of justice, however, I decided to grant him extension of time till the 25th of September, 2017 for furnishing his comments, and this was communicated to him, *vide* Rajya Sabha Secretariat's letter dated the 18th of September, 2017.

3. The Respondent furnished his comments on the 22nd of September, 2017, wherein he contested all the averments made, arguments advanced and contentions raised in the Petition and sought dismissal of the Petition, under sub-rule (2) of Rule 7 of the Rules, on ground of non-compliance with the requirements of Rule 6. The Respondent stated that he remains committed to the party principles and continues to be a member of the JD(U) and has no intention of leaving the party or joining another political party or forming a new political party, least of all any intention of voluntarily giving up the membership of the party. He contended that the question of 'voluntarily giving up membership of the party' can be determined only after decision of the question as to which the 'real party' is and since the question is pending before the Election Commission of India (ECI), a decision on the Petition may be taken only after final decision by the ECI. He

counter-alleged that it is Shri Nitish Kumar and his faction, who have voluntarily given up the membership of the JD(U) by withdrawing from the *Mahagathbandhan*, which was formed as a common front against the BJP, and subsequently aligning with the BJP, thus blatantly betraying the trust reposed by the people of Bihar and their mandate. He alleged that Shri Nitish Kumar has split from the real JD(U) due to pure political and opportunistic reasons, in violation of the constitution of the party. His main contention was that 'criticism of the decision of party leaders, taken in violation of the constitution of the party, does not entail voluntarily giving up of the membership of the party'**.** The Respondent demanded that the averment that the Petitioner is competent and duly authorized to file the present Petition requires to be strictly proved, since the Petitioner had been appointed to the post of Leader of the Legislature Party of the JD(U) in Rajya Sabha, without following party norms and after illegally removing Shri Sharad Yadav from the said post in an illegal, arbitrary and capricious manner. He also questioned the use of newspaper articles/media clippings by the Petitioner as evidence and stated that they cannot be relied upon in the absence of any corroborative material. He had also annexed newspaper clippings and media reports in the form of videos in support of his allegations against Shri Nitish Kumar, President of the JD(U).

4. On perusal of the records of the previous cases of disqualification under the Tenth Schedule in the Rajya Sabha, I observed that the procedural requirements of the Committee of Privileges often entail a longer time frame for conduct of preliminary inquiry and preparation and submission of final Report, ultimately causing a delay in the proceedings and determination of the final question, which is against the very grain and object of the Tenth Schedule. This also tantamounts to subverting the essence of the Anti-Defection Law, *namely*, to curb the menace of defection, by allowing a member to continue his membership without facing the consequences of defection. The Supreme Court in its Order, dated the 11th of December, 2006, in *Jagjit Singh Vs. State of Haryana & Ors [(2006) 11 SCC 1]*, had observed as follows:—

> *" Despite defection a member cannot be permitted to get away with it without facing the consequences of such defection only because of mere technicalities."*

Further, sub-rule (4) of Rule 7 of the Rules reads as follows:—

> *" After considering the comments, if any, in relation to the petition, received under sub-rule (3) within the period allowed (whether originally or on extension under that sub-rule), the Chairman may either proceed to determine the question or, if he is satisfied, having regard to the nature and circumstances of the case that it is necessary or expedient so to do, refer the petition to the Committee for making a preliminary inquiry and submitting a report to him."*

From a perusal of this, it is very clear that it is not mandatory to refer each and every case to the Committee of Privileges, as a matter of routine. Depending upon the nature and circumstances of the case, the Chairman may or may not refer the petition to the Committee for making a preliminary inquiry. When the facts of the case are clear, the Chairman in his wisdom may decide to proceed in the matter on his own. Attention is also drawn to the use of the word 'preliminary inquiry' in sub-rule (4) of Rule 7, which means that even after preliminary inquiry by the Committee, it is for the Chairman to finally analyze the facts and come to a final conclusion. Keeping in view these facts, I decided to proceed with the determination of the question of disqualification of the Respondent myself. Therefore, in the interest of justice, I directed, on the 7th of October, 2017, to forward the comments of the Respondent to the Petitioner, for his comments thereon, within seven (7) days of receipt of the same.

5. The Petitioner, in his comments dated the 13th of October, 2017, reiterated the facts already stated in his petition and submitted that the comments of the Respondent were more in the form of an ideological speech and have failed to answer the specific averments made and refute the allegations made in a substantial manner. He outrightly rejected the claim of the Respondent that a dispute with respect to the internal functioning of the party is pending before the ECI and termed it as factually incorrect stating that the ECI had refused to take cognizance of the petition filed in this regard. The Petitioner stated that existence of a dispute within the party is neither relevant nor germane to the determination of a disqualification petition; but, it is the conduct of the individual that needs to be examined. He contended that the onus of establishing the veracity of the contents of the newspaper articles/media clippings as false lay with the Respondent and that failure to deny or refute amounts to acceptance. As regards the Respondent's allegation of betraying the trust and mandate of the people of Bihar by withdrawing from the Mahagathbandhan, the Petitioner has contended that Shri Nitish Kumar had to withdraw from the coalition Government and resign as Chief Minister of Bihar on the 26th of July, 2017, in accordance with the decision taken by the Extended State Executive of JD(U) Bihar including MLAs, MLCs, MPs (Rajya Sabha and Lok Sabha), all District Presidents and all Presidents of various units/wings/cells of the party in its meeting held on the 11th of July, 2017, asking him not to compromise on the serious issues of corruption, money laundering and benami properties against some leaders of the coalition party, i.e., RJD, appearing in public domain and the raids conducted against them by the investigating agencies; and further asking him to take necessary action, as he deemed fit. This decision of Shri Nitish Kumar to withdraw from the Mahagathbandhan and resign as Chief Minister of Bihar was unanimously approved by the Legislature Party in its meeting held on the 26th of July, 2017 and by the National Executive and National Council of JD(U) in its meeting held on the 19th of August, 2017. Shri Nitish Kumar accepted the unconditional support offered by BJP in appreciation of his principled stand against corruption, formed the Government and was sworn in as Chief Minister on the 27th of July, 2017. He also proved his majority on the floor of

the Legislative Assembly of Bihar on the 28th of July, 2017. The Petitioner had held that Mahagathbandhan was merely a political alliance formed on a common minimum programme to fight elections for the Legislative Assembly in Bihar and there can never be any compulsion on the constituents of a coalition to remain welded despite fundamental differences. He also dismissed the allegation of the Respondent regarding illegal removal of Shri Sharad Yadav from the post of Leader of the Legislature Party of JD(U) in Rajya Sabha citing that the conduct of Shri Yadav led to his removal and the decision was taken with the overwhelming majority of the Members of JD(U) in Rajya Sabha. The Petitioner reiterated that the defiance of the Respondent against the unanimous decision of the party, his public criticism of the decision of the party and its President, and open alignment with the rival political party, i.e., RJD, amounts to voluntarily giving up the membership of the party. He had further added that no political party especially the JD(U) with strong and deep rooted commitment against corruption in public life shall permit any of its member to align with a political party, whose leaders are embroiled in corruption with serious charges of benami property dealings and money laundering.

6. With a view to afford a reasonable opportunity to the Respondent to represent his case and be heard in person, in terms of sub-rule (7) of Rule 7, I directed that a notice, along with a copy of the comments, dated the 13th of October, 2017, of the Petitioner on the reply of the Respondent, dated the 22nd of September, 2017, to the Petition, be issued to the Respondent informing him that an opportunity for oral hearing before me has been granted to him at 10.00 A.M. on the 30th of October, 2017 in my room, i.e., Room No. 216, Second Floor, Block A, Parliament House Annexe Extension (PHA Extn.) Building, New Delhi. This was conveyed to him, vide Rajya Sabha Secretariat's letter dated the 18th of October, 2017.

7. The Respondent, vide letter dated the 23rd of October, 2017, sought extension of 8 weeks time for appearing for the oral hearing citing meetings/engagements relating to the forthcoming elections to the Legislative Assemblies of the States of Gujarat and Himachal Pradesh. Referring to paragraphs 24 and 27 of the Resolution of the National Council of JD(U) dated the 8th of October, 2017, he further questioned the authority of the Petitioner to institute the instant proceedings on behalf of the JD (U), pursuant to the said Resolution. However, after considering his request, I granted him extension of one week and directed him to appear in person before me to represent his case at 10.30 A.M. on the 8th of November, 2017 in my room, i.e., Room No. 216, Second Floor, Block A, Parliament House Annexe Extension (PHA Extn.) Building, New Delhi and also informed him that no further extension would be granted in this case. This was communicated to him, vide Rajya Sabha Secretariat's letter dated the 24th of October, 2017.

8. The Respondent appeared in person before me at 10.30 A.M. on the 8th of November, 2017 for the oral hearing. While reiterating the facts already submitted by him in his comments on the Petition, he stated that he had neither been issued any directive in writing or through SMS or orally by the President of the JD(U) or any other office bearer or member of the party, directing him not to attend the meetings/rally of the opposition parties, nor had he been issued any show cause notice by the party before initiating disciplinary action against him. He further stated that Shri Sharad Yadav, who was the Leader of the JD(U) Legislature Party in Rajya Sabha at that time and who was on tour in his constituency, had directed him to attend the meeting of the opposition parties, with which he had complied, after which he was suspended from the party. Subsequently, he also attended the rally called by the RJD leader, Shri Lalu Prasad Yadav, which was attended by leaders of all opposition parties. He contended that Shri Nitish Kumar himself had stated that he would attend the rally, if invited. He alleged that the decision of Shri Nitish Kumar to resign as Chief Minister and withdraw from the Mahagathbandhan was not taken in any party forum and, therefore, it is he and his supporters, who had left the party. The Respondent further contended that he had not indulged in any anti-party activity within the House, under my jurisdiction. I informed him that all these facts had already been stated by him in detail in his reply and that I will examine them carefully before taking a final decision. I also informed him that as Chairman of the Rajya Sabha, my responsibility is to ascertain whether he had acted against the decisions of his party by attending the rally of another party and repeatedly criticized his party and whether by such actions he has proved that he is not interested in remaining in the JD(U), as alleged in the petition and asked him whether he had any further evidence to adduce in addition to what he had already submitted. However, the Respondent submitted no further substantial facts in his defence.

9. According to paragraph 2 (1) of the Tenth Schedule of the Constitution, a Member can be disqualified in the following circumstances:—

(a) if he/she voluntarily gives up the membership of the political party to which he/she belongs; or

(b) when he/she votes or abstains from voting in the House, contrary to any direction issued by the political party to which he/she belongs, without obtaining prior permission and such voting or abstention has not been condoned by such party, within 15 days from the date of such voting or abstention.

Obviously, the case falls under paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule. I would now proceed to examine the merits of this case under this provision.

10. I have observed from perusal of the records, i.e, the Petition and the comments of the Respondent on the Petition along with all Annexures thereto, the comments of the Petitioner on the said comments of the Respondent and the facts presented by the Respondent during the oral hearing, that the Respondent, instead of specifically denying or refuting the allegations of indulging in anti-party activities levelled against him by the Petitioner, was only trying to establish that the

decision of Shri Nitish Kumar to withdraw from the Mahagathbandhan and to align with the BJP has resulted in a split in the Janata Dal (United) into two factions - one headed by Shri Nitish Kumar and another comprising him, Shri Sharad Yadav and their supporters and that their faction commanded majority support within the JD(U) and that a dispute in this regard was pending before the ECI. The main line of argument adopted by him was that it was not him, but Shri Nitish Kumar and his faction, who had voluntarily given up the membership of the JD(U), by violating the aims and objects laid down in the party constitution and acting against the principles on which the party was founded, thereby becoming subject to disqualification under the Tenth Schedule. However, he has failed to produce any clinching documentary or other evidence to substantiate his claim. Further, paragraph 1 of the Tenth Schedule to the Constitution, defines the 'Legislature Party' and the 'Original Political Party' as follows:—

> *" Interpretation. 1. XXXXXXX*
>
> *(b) "legislature party", in relation to a member of a House belonging to any political party in accordance with the provisions of paragraph 2 or [xxx] paragraph 4, means the group consisting of all the members of that House for the time being belonging to that political party in accordance with the provisions;*
>
> *(c) "original political party", in relation to a member of a House, means the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2."*

It does not take cognizance of any political alliance made by political parties. The Mahagathbandhan was a political alliance of some political parties formed for the purpose of contesting the 2015 Legislative Assembly elections in Bihar and JD(U) was one of its constituents. As such, leaving or joining of any political alliance by political parties does not fall within the purview of the anti-defection Law.

11. The Respondent's harping on a pending dispute regarding the JD(U) before the ECI is not germane to the determination of the disqualification petition, since it is purely an internal matter of the party falling outside the purview of the Tenth Schedule and, therefore, outside my jurisdiction. In any case, as per facts furnished by the Petitioner, ECI had rejected the claim of the group supported by the Respondent twice, citing lack of documentary evidence in support thereof. The Respondent has questioned the competence and authority of the Petitioner to file the present Petition and the alleged illegal removal of Shri Sharad Yadav from the post of Leader of the Legislature Party of the JD(U) in Rajya Sabha, without following party norms. In this context, I have to go by the dictum that in a democracy, it is the rule of the majority and the voice of the majority that will have to be accepted. If a dispute is, therefore, raised regarding the leadership of a legislature party/group, I have to examine and decide on the material and evidence placed before me by each side, on which they have based their claim. In the instant case, the Respondent has failed to prove with documentary or other evidence that his group commands majority support within the JD(U) Legislature Party in Rajya Sabha. On the contrary, the Petitioner, Shri Ram Chandra Prasad Singh was unanimously elected to the post of the Leader of the JD(U) Legislature party in Rajya Sabha, in the meeting of their parliamentary party held in New Delhi, on the 11th of August, 2017, and this was intimated to the Rajya Sabha Secretariat by Shri Kaushalendra Kumar, Member, Lok Sabha and Leader of the JD(U) in Parliament. This was taken cognizance of by the Rajya Sabha Secretariat and the records of the Rajya Sabha were updated accordingly. The claim of the Respondent that the Petitioner does not have the locus to file the Petition, is also not tenable, since the Petitioner, Shri Ram Chandra Prasad Singh is a Member of the Rajya Sabha and as per the Rules, any Member of the Rajya Sabha can file a petition seeking disqualification of any other Member.

12. The Respondent's public denouncement of Shri Nitish Kumar's decision to withdraw from the Mahagathbandhan and align with the BJP and publicly aligning with the rival party of JD(U), namely, RJD, and supporting their leaders and policies, sharing of dias and attending their meetings/rally, all of which are enough to establish beyond doubt that he has indulged in anti-party activities. His unstinting support of the speeches of Shri Sharad Yadav on public platforms and his anti-party activities, such as, supporting the application filed before the ECI against Shri Nitish Kumar, President of the JD(U) and the Resolutions moved and adopted in a meeting of members of the JD(U), declaring the decisions of Shri Nitish Kumar as illegal, invalid and void, none of which he has either denied or refuted, also testify to the fact that he no longer supports the policies and decisions of the party, on whose ticket he was elected. It also appears from the facts presented before me that the Respondent, instead of raising his objections within the party forum, for which an opportunity was available to him, namely, meeting of the Extended State Executive of JD(U) Bihar on the 11th of July, 2017, went ahead with his criticism of the party policies and decisions of his party President in media as well as on public platforms, including meetings/rally of the rival political party. The Respondent has held that criticism of the decision of party leaders, taken in violation of the constitution of the party, does not entail voluntarily giving up of the membership of the party. Here, I would like to mention that a political party, which is an essential part of the democratic set up, works through collective decisions. Though one might have differences with the decision of the party, he is ultimately to follow the collective decision of the party. He has every right to air his views in the meetings and forums of the party before a decision is taken and may be even after that also. But if a member of any political party starts criticizing the decisions of his own party publicly, after the decision has been taken, and goes to the extent of attending and addressing the rallies of the rival political parties, it will fall under anti-party activity and in case, the person concerned is a Member of the State Legislature or Parliament, this amounts to voluntarily giving up the membership of

the party, thus incurring disqualification under the Tenth Schedule. In my considered opinion, a Member gets elected as a candidate of a political party because of the policies and manifestos of the party and if the Member criticizes his party publicly, he will be deemed to have given up his membership of that political party voluntarily.

13. Paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule states that 'a member of a House belonging to a political party shall be disqualified for being a member of the House, if he has voluntarily given up his membership of such political party'. The term 'voluntarily given up membership' has been amply clarified by the Supreme Court in its judgement, dated the 9th of February, 1994, in Ravi Naik Vs. Union of India [1994 AIR 1558, 1994 SCR (1) 754, 1994 SCC Supl. (2) 641, JT 1994 (1) 551, 1994 SCALE (1) 487], wherein the Court had inter alia observed as follows:—

> *" The words 'voluntarily given up his membership' are not synonymous with 'resignation' and have a wider connotation. A person may voluntarily give up his membership of a political party even though he has not tendered his resignation from the membership of that party. Even in the absence of a formal resignation from the membership an inference can be drawn from the conduct of a member that he has voluntarily given up his membership of the political party to which he belongs."*

In the same case, the Supreme Court had upheld the decision of the Speaker of the Goa Legislative Assembly disqualifying two MLAs, who were elected on the ticket of the Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP), on the conduct alone of their accompanying the Leader of the Congress (I) Legislature Party in Goa, when he met the Governor to show that he had the support of twenty MLAs.

14. The Supreme Court in its decision, dated the 24th of January, 1996, in G. Viswanathan Vs. The *Hon'ble Speaker, Tamil Nadu Legislative Assembly, Madras & Another [1996 AIR 1060, 1996 SCC (2) 353, JT 1996 (1) 607, 1996 SCALE (1) 531]*, had also *inter alia* observed as follows:—

> *" The act of voluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied."*

15. Prior to the above-said observations of the Supreme Court in the *Ravi Naik* case, the Committee of Privileges (Eighth Lok Sabha) had also pondered over the meaning of the term 'voluntarily giving up membership' and made the following observations:—

> *" The Committee have also considered as to what amounts to voluntarily giving up of membership of a political party by a member. The Committee notes that the words used in paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule are: 'If he has voluntarily given up his membership of such political party' and not 'if he has voluntarily resigned from such political party'. The Committee feel that the use of words 'voluntarily given up' is very significant ......To insist that a letter of resignation to the competent authority, voluntarily tendered would alone disqualify would be placing too narrow an interpretation on the constitutional provision and would in fact negate the very objective which Parliament had in mind while enacting the Constitution (Fifty-second Amendment) Act and that such an interpretation would lead to gross circumvention of the provisions of the Tenth Schedule.*
>
> *The Committee are convinced that it was with a view to obviating such situations that the words 'voluntarily given up' were used in paragraph 2(1)(a). As the law does not define the precise manner in which the membership is to be given up, the words have to be interpreted according to the spirit in which they have been used in the Act. The intention of the law-makers is quite clear: that it is not only by the overt act of tendering his resignation but also by his conduct that a member may give up the membership of his political party. The Committee are of the view that if a member by his conduct makes it manifestly clear that he is not bound by the party discipline and is prepared even to wreck it by his conduct, he should be prepared to pay the price of losing his seat and seeking re-election."*

16. In another decision, dated the 27th of October, 2004, in *Dr. Mahachandra Prasad Singh Vs. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors. [(2004) 8 SCC 747]*, the Supreme Court had observed, as follows:—

> *" Therefore, the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraph (1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect".*

17. In view of such authoritative pronouncements by the Hon'ble Supreme Court, while deciding the petition in which the allegation is of the violation of the paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule, the role of the Chairman, as the designated authority, is only in the domain of ascertaining the facts and once the facts are gathered or placed to show some action, express or implied, within the meaning of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule, to take a decision in the matter. The limited role which a Presiding Officer has to perform under the above-cited paragraph of the Tenth Schedule has been amply clarified by the Supreme Court in *Dr. Mahachandra Prasad Singh Vs. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors. [(2004) 8 SCC 747]*, where it had observed as under:—

*" It may be noticed that the nature and degree of inquiry required to be conducted for various contingencies contemplated by paragraph 2 of the Tenth Schedule may be different. So far as clause (a) of paragraph 2 (1) is concerned, the inquiry would be a limited one, namely, as to whether a member of the House belonging to any political party has voluntarily given up his membership of such political party."*

As such, it now remains for me to decide, whether expressly or by implication, the Respondent has voluntarily given up the membership of his political party, *namely*, the JD (U). From the actions and statements of the Respondent based on the material/evidence presented before me, it can be inferred that he has voluntarily given up his membership of JD(U), on whose ticket he was elected to the Rajya Sabha.

18. The Petitioner had relied mainly on newspaper clippings and video recordings which appeared on various TV channels as proof of the anti-party activities of the Respondent and his having voluntarily given up membership of the JD(U). The Respondent has objected to the use of newspaper clippings and video recordings as evidence by the Petitioner citing that newspaper articles cannot be relied upon as evidence in the absence of any corroborative material. In my view, the newspaper reports alone cannot be taken as substantive evidence, and at best can be taken as providing reliable circumstantial evidence, unless proved otherwise. It has *inter alia* been observed by the Hon'ble Supreme Court in *Samant N. Balakrishna etc. Vs. George Fernandez and Ors. etc. [1969 AIR 1201, 1969 SCR (3) 603, 1969 SCC (3) 238],* as follows:—

*" A news item without any further proof of what had actually happened through witnesses is of no value. It is at best a secondhand secondary evidence. xxxxxxx Such news items cannot be said to prove themselves although they may be taken, into account with other evidence, if the other evidence is forcible."*

However, in the instant case, I see no reason as to why so many newspapers and media channels would publish/report something wrongly and if that was so, then the least that was expected of the Respondent was to forthwith deny the same and issue clarification/explanation in that regard. In this case, many leading national and regional/state newspapers and media channels did in fact report about the Respondent campaigning with RJD leaders and workers and his attending the public rally called by RJD on the 27th of August, 2017, as well as his criticism of Shri Nitish Kumar's decision. From the video recordings and newspaper clippings/ articles provided by the Petitioner, I have found that the Respondent had on numerous occasions, particularly in media bytes/interviews to various media channels, criticized the decision of Shri Nitish Kumar to withdraw from the *Mahagathbandhan* and form the Government in alliance with BJP stating that his conscience would not allow him to support the said decision and had affirmed that he would be attending the rally called by RJD in Patna on 27th of August, 2017. I have also found him speaking in support of the *Mahagathbandhan* and criticizing the decision of Shri Nitish Kumar in some public meetings. The video recordings thus provide ample and irrefutable proof that the Respondent had indeed attended the said rally and made statements openly criticizing the decision of his party and its President. Further, the Respondent instead of categorically denying or refuting the allegations appearing in the newspaper clippings/media reports, has himself admitted that he had attended the rally organized by the rival political party, *i.e,* RJD. Therefore, there is no reason to presume that the video recordings are doctored, more so, since the Respondent himself has not questioned their veracity. Therefore, apart from the newspaper reports, there are more than sufficient material, in the form of video recordings corroborating the fact that the Respondent had, in fact, taken part in the rally of RJD; criticized his own party's decision to leave the *Mahagathbandhan* and form the Government with the support of the BJP; and the Respondent's own admission of having attended the rally, for me to come to a finding that the Respondent has indulged in anti-party activities, thus attracting the provisions of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

19. Incidentally, it has also come to my notice that the primary argument of the Respondent that the group led by Shri Chhotubhai Amarsang Vasava, Acting President, to which he and his supporters belong, is the real JD(U) has been outrightly rejected by the Election Commission of India, *vide* Orders dated the 17th of November, 2017, which *inter alia* reads, as follows:—

*" (i) Having considered the submissions, both written and oral, and the documents submitted in support of their respective claims by the two groups, the Commission holds that the principle of test of majority support in the organisational and legislative wings as upheld by the Hon'ble Supreme Court in Sadiq Ali Vs. Election Commission of India & Others (AIR 1972 SC 187), and consistently applied by the Commission in all such cases in the past, would apply in the instant case in the facts and circumstances of the case.*

*(ii) The respondent group led by Sh. Nitish Kumar has demonstrated overwhelming majority support in the legislature wing as well as the majority in the National Council of the Party which is the Apex level organisational Body of the Party.*

*(iii) Accordingly, the group led by Sh. Nitish Kumar is hereby recognised as the Janata Dal (United) in terms of Paragraph-15 of the Symbols Order. Consequently, the group led by Sh. Nitish Kumar is entitled to use the reserved symbol 'Arrow' of the Party as a recognised State Party in Bihar."*

The above-said orders of the ECI have laid to rest the pending dispute over the leadership of the JD(U) and the group which constitutes the real party. Subsequently, the ECI has passed a detailed order in this regard dated the 25th of November, 2017.

20. Before pronouncing my Order, I would like to mention that there has been widespread criticism of some Presiding Officers, who did not take a decision on the disqualification petitions under the Tenth Schedule of the Constitution of India within reasonable time. It has been noticed that the Hon'ble Supreme Court also expressed its concern about the unnecessary delay in deciding these petitions by the Presiding Officers of the Legislatures. In the case of *Speaker, Haryana Vidhan Sabha Vs Kuldeep Bishnoi & Ors. (AIR 2013 SC 120)*, the Speaker of the Assembly practically took about four years in deciding the petition of disqualification and single bench and a division bench of the Punjab & Haryana High Court and ultimately the Supreme Court *vide* its Order dated the 28th of September, 2012, had to give a direction to the Speaker to decide the petition within three months. In another case in the Uttar Pradesh Legislative Assembly, similar type of delay was caused by the Speaker in deciding the disqualification petition and ultimately the matter went to the Supreme Court *[Mayawati Vs Markandeya Chand & Ors (1998 7 SCC 517)]*. The Supreme Court instead of remanding the case to the Speaker, disqualified the MLAs itself. There have been many other cases also, where the Courts have expressed concern about the unnecessary delay in deciding such petitions. I am of the considered opinion that, such petitions which go to the root of the democratic functioning and which raise the question, whether a particular legislator (lawmaker) is entitled to sit in the Legislature or not, should not be kept pending and dragged on by the Presiding Officers, with a view to save the membership of the persons, who have otherwise incurred disqualification or even to save the Government, which enjoys majority only because of such type of persons. I am of the view that, all such petitions should be decided by the Presiding Officers within a period of around three months, of course, by giving an opportunity as per law to the concerned Members against whom there are allegations, which lead to their disqualification under the Tenth Schedule to the Constitution of India, so as to effectively thwart the evil of political defections, which if left uncurbed are likely to undermine the very foundations of our democracy and the principles which sustain it. The intention of the lawmakers to vest the adjudicatory power with respect to disqualification petitions with the Presiding Officers to ensure their fair and expeditious disposal is also clearly evident from the following statement of the then Law Minister, while piloting the Constitution (52nd Amendment) Bill, 1985 in the Lok Sabha, on the 30th of January, 1985:—

> *" If this Bill is to be effective, and if defection is to be outlawed effectively, then we must choose a forum which will decide the matter fearlessly and expeditiously. This is the only forum that is possible."*

The then Prime Minister had also made a similar observation, while participating in the debate on the Bill in the Rajya Sabha, on the 31st of January, 1985:—

> *" What we have tried to do in this Bill is to make it as black and white as possible so that there are no grey areas where somebody has to take a decision. The decision should be automatic, backed by a sequence of events, which are on record, so that there is no debate about it. We also thought that the operation of the Bill should be quick so that there is no time for horse-trading to take place or any other problem to arise. That is why we left this to the Chairman or the Speaker."*

At this juncture, it would be worthwhile to mention that sub-rule (3) of Rule 7 of the Rules, *inter alia* lays down that a Member, in relation to whom the Petition has been made, shall, **within seven days of the receipt of copy of the petition,** or within such further period as the Chairman may for sufficient cause allow, forward his comments in writing thereon to the Chairman. The very fact that only seven days time has been allowed in the Rules to the Respondent to furnish his comments on a disqualification petition filed against him, is clearly indicative of the intent of the Rule for expeditious disposal of disqualification petition. In the present case, the petition was filed on the 2nd of September, 2017 and is being disposed of expeditiously *vide* my order of today, *i.e.,* the 4th of December, 2017.

21. After taking into account the facts of the case, the comments of the Respondent and the Petitioner, the Respondent's oral submission during the personal hearing on the 8th of November, 2017 and the observations of the Committee of Privileges of the Eighth Lok Sabha and Hon'ble Supreme Court's Judgement in the *1994 Ravi Naik Vs. Union of India* case and observations in similar anti-defection cases, it is crystal clear that by his conduct, actions and speeches, the Respondent, Shri Ali Anwar Ansari, has voluntarily given up his membership of the political party, Janata Dal (United), by which he was set up as a candidate for election to the Rajya Sabha from the State of Bihar in 2012 and elected as such Member.

22. I, therefore, hold that the Respondent, Shri Ali Anwar Ansari has incurred disqualification for being a Member of the House in terms of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India. He has thus ceased to be a Member of the Rajya Sabha with immediate effect. I decide and declare accordingly.

*Sd./-*

New Delhi, M. VENKAIAH NAIDU

December 4, 2017 *Chairman, Rajya Sabha"*

DESH DEEPAK VERMA, Secy.-General

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.12.05 17:56:49 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.